:: अनुक्रमणिका ::

पृष्ठ क्र0

अध्याय 1 : परिचय 2

अध्याय 2 : निजी एवं लोक वन – परिभाषायें 5

अध्याय 3 : लोक वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गठित समितियाँ व सम्बद्ध संस्थायें 7

अध्याय 4 : चार्टर्ड फारेस्टर 10
{चार्टर्ड फारेस्टर का अस्तित्व मूल अधिनियम (म0प्र0 लोकवानिकी अधिनियम, 2001 एवं संशोधन) एवं मूल नियम (म0प्र0 लोकवानिकी नियम, 2002 एवं संशोधन) द्वारा लोप किया गया है ।

अध्याय 5 : लोक वानिकी के अन्तर्गत प्रबंधन हेतु आवेदन प्रक्रिया 12

अध्याय 6 : प्रबंधन योजना तैयार किया जाना 14

अध्याय 7 : प्रबंधन योजना की स्वीकृति 27

अध्याय 8 : प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन 30

अध्याय 9 : प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा 35

अध्याय 10 : अधिनियम एवं नियम के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान 37

अध्याय 11 : लोकवानिकी क्षेत्रों के प्रबंधन पर आरेंज एरिया / ब्लेंकेट नोटिफिकेशन का प्रभाव एवं सावधानियां 39

परिशिष्ट

1. म.प्र. लोकवानिकी अधिनियम, 2001 40
2. म.प्र. लोकवानिकी नियम, 2002 44
3. म.प्र. लोकवानिकी (संशोधन) अधिनियम, 2005 (चार्टर्ड फारेस्टर के उपबंधों का लोप) 66
4. म.प्र. लोकवानिकी (संशोधन) नियम, 2006 (चार्टर्ड फारेस्टर के उपबंधों का लोप) 67
5. म.प्र. लोकवानिकी (संशोधन) नियम, 2006 (नियम 5 के उपनियम 4 में संशोधन) 69
6. म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 70
7. म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 के संबंधित प्रावधान 88
8. म.प्र. अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 96
9. म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 के संबंधित प्रावधान 105
10. लोकवानिकी क्षेत्रों के प्रबंधन पर आरेंज एरिया / ब्लेंकेट नोटिफिकेशन का प्रभाव एवं सावधानियों के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 के दिशा निर्देश 117

अध्याय – 1

परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि से वनों पर पडने वाले जैविक दबाव में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप वन क्षेत्रों से उनकी संवहनीय क्षमता से अधिक मात्रा में वनोत्पादों का विदोहन किया जा रहा है, और वनों की उत्पादकता घटती जा रही है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में इस चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुये जो मूलभूत उद्देश्य चिन्हित किये गये हैं, उनमें वनों के संरक्षण, संवर्द्धन तथा उत्पादकता वृद्धि, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि, वन आश्रित जनसंख्या की जलाऊ लकड़ी, चारा, लघुवनोपज एवं छोटी इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वन संरक्षण व प्रबंधन में स्थानीय लोगों की सहभागिता पर विशेष बल दिया गया है।

यह सुविदित है कि वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अन्तर्गत न केवल वन विभाग के नियंत्रण में आने वाले शासकीय वन आते हैं, अपितु राजस्व विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों/निकायों, अशासकीय संस्थाओं और निजी स्वामित्व के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र भी हैं, जिनका वर्तमान में सुचारू रूप से वैज्ञानिक प्रबन्धन नहीं हो पा रहा है और ये वन क्षेत्र निरन्तर बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इन वन क्षेत्रों के प्रबन्धन की ओर भी ध्यान दिया जाना उतना ही आवश्यक है, जितना कि वन विभाग के नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले शासकीय वनों पर क्योकि इनके कुशल प्रबन्धन से न केवल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि होगी, अपितु वनोत्पादों के उत्पादन के अतिरिक्त स्त्रोतों के सृजन से शासकीय वनों पर पड़ने वाले जैविक दवाव में भी कमी आयेगी।

जहां तक राजस्व विभाग के नियंत्रण के राजस्व वनों का प्रश्न है, इनके प्रबन्धन की कोई संस्थागत व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिये बजट की उपलब्धता न होने से इनका कोई प्रबंधन ही नहीं हो रहा है। ये क्षेत्र अतिक्रमण, अत्यधिक चराई एवं वनोपज की संवहनीय क्षमता से अधिक निकासी के कारण दयनीय स्थिति में पहुँच गये हैं।

निजी स्वामित्व के वनों की स्थिति तो और भी खराब है। इन क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई एवं उनसे प्राप्त होने वाले काष्ठ के परिवहन हेतु राजस्व/वन विभागों से अनुज्ञा की प्राप्त करने की एक बहुत ही लम्बी व दुरूह प्रक्रिया भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत मालिक मकबूजा नियमों में थी। जब भी कोई वृक्ष काटना हो, चाहे वह मृत, मृतप्राय, रोगग्रस्त ही क्यों न हो, इसी लंबी एवं कष्टदायक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अतः निजी स्वामित्व के वृक्ष आच्छादित क्षेत्र भूमि स्वामी के लिए एक संसाधन न हो कर एक दायित्व बन गये थे क्योंकि न तो वह इन क्षेत्रों को कृषि उपयोग में ला सकता था और वृक्षों की कटाई की अनुमति प्राप्त करने की लम्बी प्रक्रिया के कारण उसे न ही इन वृक्षों से कोई आय प्राप्त हो पा रही थी। इस कारण भूमि स्वामी का प्रयास यही रहता था कि किस प्रकार उसे उसकी भूमि पर खड़े वृक्षों से छुटकारा मिले तथा वह इस भूमि का प्रयोग कृषि अथवा अन्य किसी गैर वानिकी प्रयोजन में कर सके। अतः इस वन भूमि के निरन्तर वानिकी उपयोग अथवा उस क्षेत्र के वन के रूप में वैज्ञानिक प्रबन्धन में उसकी रुचि होने का कोई प्रश्न ही नही उठता था। इस प्रकार राष्ट्रीय महत्व के इस मूल्यवान संसाधन के बर्बाद होने के लिये सभी परिस्थितियाँ विद्यमान थी ।

1.2 लोक वानिकी कार्यक्रम

उपरिवर्णित स्थितियों के परिमार्जन हेतु राज्य शासन ने प्रदेश में लोक वानिकी कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने निजी व राजस्व वनों के वैज्ञानिक व सतत् प्रबन्धन के लिए ग्राम स्वराज की अवधारणा के अनुरूप एक नई और अनूठी योजना "लोक वानिकी" के

नाम से प्रारम्भ की है। यह योजना वस्तुतः जनता के द्वारा, जनता के लिए तथा जनता की वानिकी योजना है, जिसमें वानिकी के माध्यम से समग्र, आर्थिक व सामाजिक विकास का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के अन्तर्गत एक प्रमुख घटक है, भूमि स्वामियों द्वारा उनकी निजी भूमियों पर खड़े वनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु प्रबन्धन योजना तैयार करना तथा अनुमोदित प्रबन्धन योजना के अनुसार वनों का सतत् प्रबन्धन करना। तैयार कराई गई वैज्ञानिक प्रबन्धन योजना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन/मंजूरी उपरांत इस योजना के प्रावधानों के अनुसरण में काटे जाने वाले वृक्षों की कटाई की अलग से भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार जो भूमि स्वामी पहले म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 भारतीय वन अधिनियम, 1927 इत्यादि के तहत वृक्षों की कटाई की अनुमति प्राप्त करने के लिए समस्याओं का सामना करने हेतु विवश था, वह अब सम्मान जनक ढंग से बिना किसी परेशानी के अपनी वन सम्पदा के वैज्ञानिक, लाभप्रद व सतत् प्रबन्धन के प्रति आशान्वित है तथा जिस वन क्षेत्र को वह एक बोझ समझता था, वही वन अब उसे अपनी खुशहाली के लिए आशा की किरण के रूप में दिखाई दे रहा है।

लोक वानिकी योजना की परिधि में न केवल निजी स्वामित्व के अपितु, राजस्व विभाग के शासकीय वनों को भी लाया गया हैं। यदि कोई ग्राम पंचायत या ग्राम सभा उसकी अधिकारिता के अंतर्गत स्थित किसी वृक्ष आच्छादित राजस्व भूमि के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व लेना चाहती है तो उसे उक्त राजस्व भूमि, जिसे "लोक वन" कहा जायेगा, प्रबन्धन हेतु सौंपी जा सकती है तथा उक्त ग्राम पंचायत या ग्राम सभा निजी वन की भांति उस लोक वन के लिए प्रबन्धन योजना तैयार करवा कर, सक्षम प्राधिकारी से उसकी स्वीकृति ले कर उस वन का प्रबन्धन कर सकती है तथा प्राप्त वनोपज से लाभार्जन कर सकती है। इस प्रकार लोक वानिकी कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण का भी एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो रहा है।

1.3 लोक वानिकी से लाभ

1. प्रबन्धन योजना अनुसार वृक्षों की कटाई की सरल एवं पारदर्शी व्यवस्था द्वारा भू–स्वामियों को पूर्व में होने वाली कठिनाई का दूर होना।
2. निजी स्वामित्व के वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों (निजी वन) एवं राजस्व वनों (लोक वन) के वैज्ञानिक प्रबन्धन द्वारा उत्पादकता वृद्धि।
3. निजी वृक्षारोपण को प्रोत्साहन तथा वानिकी को लाभदायक व्यवसाय के रूप में लोकप्रिय बनाना।
4. निजी वन संपदा का व्यावहारिक तथा समुचित प्रबंधन करना।
5. लोक वानिकी के अन्तर्गत प्रबंधित निजी/लोक वनों से वनोपज प्राप्ति में वृद्धि के फलस्वरूप शासकीय वनों पर दबाव में कमी।
6. वनों के सुचारू रूप से प्रबन्धन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली नियमित आय से वन सुरक्षा के लिये राशि उपलब्ध होना।
7. ग्रामीणों को निजी वन संपदा का वास्तविक मूल्य उपलब्ध करवाकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना।
8. पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना।
9. वनोपज संग्राहकों, औषधीय प्रजातियों के उत्पादक, कृषकों एवं वन–आधारित उद्योगों के बीच संपर्क बनाकर दोनों को लाभ पहुंचाना।
10. उच्च गुणवत्ता वाले बहुउपयोगी एवं औषधीय महत्व के पौधों के रोपण द्वारा कम समय में अधिक वनोपज उत्पादन द्वारा कृषकों को अल्प अवधि में अधिक से अधिक आय दिलाना।

11. वनोपज उत्पादकों को संगठित कर उन्हें बिचौलियों के शोषण से मुक्त करा कर उचित मूल्य दिलाना।

12. वनोपज आधारित उद्योगों को कच्चे माल की नियमित तथा सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित कराना।

13. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना।

14. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरूप गैर वन क्षेत्रों में वृक्ष–आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना।

1.4 लोक वानिकी कार्यक्रम का प्रारम्भ

इस योजना के प्रायोगिक क्रियान्वयन हेतु सर्वप्रथम वर्ष 1998 में प्रदेश के 5 जिलों दमोह, देवास, नरसिंहपुर, होशंगाबाद एवं सीधी का चयन किया गया। उपरोक्त सभी जिलों में कृषकों में यह कार्यक्रम लोकप्रिय हुआ तथा जन साधारण द्वारा इसके महत्व को समझते हुए इसे स्वीकार किया गया। इन जिलों में इस कार्यक्रम की प्रगति को देखते हुये, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, द्वारा इसका विस्तार अन्य 5 जिलों जबलपुर, सिवनी, डिण्डौरी, मण्डला एवं कटनी में भी किया गया। प्रायोगिक क्रियान्वयन की सफलता को देखते हुए राज्य शासन द्वारा इसे सम्पूर्ण प्रदेश में औपचारिक रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया तथा इसे वैधानिक स्वरूप देने के लिये वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम पारित किया गया तथा इस अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002, लागू किये गये। उक्त लोक वानिकी अधिनियम तथा नियम को लागू करने के साथ–साथ राज्य शासन द्वारा अन्य सम्बद्ध अधिनियमों/नियमों जैसे भू–राजस्व संहिता, मध्य प्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 में भी यथा आवश्यक संशोधन कर, वृक्षों की कटाई व वनोपज की परिवहन प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है। मई, 2003 से पूरे प्रदेश में यह योजना लागू की जा चुकी है ।

1.5 लोक वानिकी मैनुअल

लोक वानिकी कार्यक्रम को लागू करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 तथा मध्य प्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002 पहले ही बनाये जा चुके हैं जो इस कार्यक्रम को वैधानिक स्वरूप प्रदान करते है। परन्तु इस कार्यक्रम के क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन के समय यह अनुभव किया गया कि अधिनियम व नियमों के प्रावधानों एवं लोक वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को समझने में विभिन्न स्तर के कर्मचारियों व भूमि स्वामियों को कहीं कहीं कठिनाई आती है। अतः यह आवश्यक समझा गया कि ऐसा मैनुअल तैयार किया जावे, जिसमें न केवल लोक वानिकी अधिनियम/नियमों में दिये गये विभिन्न प्रावधानों की समुचित व्याख्या हो, अपितु सरल भाषा में प्रक्रियागत दिशानिर्देशों का भी समावेश हो ताकि इस कार्यक्रम से जुड़े सभी व्यक्ति/संस्थायें, इसका प्रयोग संदर्भ पुस्तक के रूप में कर सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस मैनुअल को तैयार करने का प्रयास किया गया है। इस मैनुअल के विभिन्न अध्यायों में लोक वानिकी कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं प्रक्रिया की विवेचना की गयी हैं। पाठकों की सुविधा हेतु मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम, 2002 एवं अन्य सम्बद्ध अधिनियमों, नियमों की प्रतियों को भी परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। इस मैनुअल के पश्चात्वर्ती अध्यायों में जहाँ पर केवल “अधिनियम”, “नियम”, “अनुसूची”, “प्ररूप” शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका आशय क्रमशः मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001, मध्य प्रदेश लोक वानिकी नियम 2002 तथा इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों व प्ररूपों से है।

अध्याय – 2

निजी एवं लोक वन – परिभाषायें

(कृपया अधिनियम की धारा – 2 एवं नियम 2 भी देखें)

2.1. वन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जनहित याचिका (सिविल) क्रमांक 202/95– टी0एन0 गोदाबर्मन विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 12–12–1996 को पारित आदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 की अधिकारिता के अंतर्गत वन को परिभाषित किया है। इस के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के प्रयोजन हेतु वे समस्त क्षेत्र "वन क्षेत्र" माने जायेंगे जो किसी भी शासकीय भू–अभिलेख में वन के रूप में दर्ज हों अथवा शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार वन की विशेषता रखते हों, चाहे वे वन के रूप में, अधिसूचित/शासकीय अभिलेखों में वन के रूप में, दर्ज हों अथवा नहीं। उक्त वर्ग (केटेगरी) के अंतर्गत आने वाले निजी स्वामित्व के क्षेत्र भी "वन" की परिभाषा में सम्मिलित होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई उपरोक्त परिभाषा के अनुसार किसी भूमि को 'वन' माने जाने के लिए भूमि के स्वामित्व का कोई महत्व नहीं है। यह भूमि शासन, समुदाय अथवा भूमि स्वामी किसी के भी स्वामित्व की हो सकती है।

यहां पर उल्लेखनीय है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार सभी वन क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार ही कोई कार्य किया जा सकता है।

माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने अपने आदेश में ''वन'' की शब्दकोषीय परिभाषा की कोई व्याख्या नहीं की थी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किसी क्षेत्र को ''वन'' कहलाने के लिये उसका न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होना चाहिए तथा किसी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र को ''वन'' के रूप में मान्य करने के लिये उसमें वृक्षों का न्यूनतम घनत्व क्या हो।

माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य सरकारों को निर्देश दिये थे कि वे एक ''विशेषज्ञ समिति'' का गठन करें जो कि अपने राज्य में वन क्षेत्रों की पहचान करेगी। वन क्षेत्रों की पहचान हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 13–1–1997 को दिशा निर्देश जारी किए गये जिसमें सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय तथा ''वन'' की शब्दकोषीय परिभाषा के दृष्टिगत व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए 10 हेक्टेयर अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल तथा औसतन प्रति हैक्टेयर 200 अथवा इससे अधिक वृक्ष घनत्व वाले क्षेत्रों को ही ''वन'' की श्रेणी में मान्य किया गया। प्रदेश में इन्ही दिशा निर्देशों के अनुरूप वन क्षेत्रों की पहचान की गई है।

इस प्रकार मध्यप्रदेश में निम्न प्रकार के क्षेत्र वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रयोजन हेतु ''वन'' कहलायेंगे।

(1) शासकीय वन

(क) वन विभाग के नियंत्रण वाले वन

1. आरक्षित वन
2. संरक्षित वन (सीमांकित एवं असीमांकित दोनों)
3. अवर्गीकृत वन/नारंगी वन क्षेत्र

(ख) राजस्व वन

1. बड़े झाड़ का जंगल
2. छोटे झाड़ का जंगल
3. राजस्व भू–अभिलेखों में ''वन'' के रूप में दर्ज अन्य क्षेत्र

(2) निजी वन

निजी स्वामित्व के वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर हो तथा न्यूनतम औसत वृक्ष घनत्व 200 वृक्ष प्रति हेक्टेयर हो। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना समीचीन होगा कि न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि पूरा 10 हेक्टेयर क्षेत्र का स्वामित्व एक ही हो। यदि एक से अधिक स्वामित्व (राजस्व विभाग, वन विभाग या निजी भूमि.स्वामी) के निरंतर लगे हुए (contiguous) क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर या अधिक हो, तो उक्त क्षेत्र मिलकर ''वन'' की परिभाषा के अंतर्गत आयेंगे।

2.2. निजी वन

यद्यपि लोक वानिकी अधिनियम, 2001 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में निजी वन को परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध स्वयं की वृक्ष आच्छादित भूमि जिसका पंजीयन/प्रविष्टि ग्राम पंचायत/संबंधित तहसीलदार के अभिलेखों में दर्ज हो, निजी भूमि कहलाएगी तथा उसमें उपलब्ध राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वृक्ष प्रजातियों से आच्छादित क्षेत्र लोक वानिकी कार्यक्रम के प्रयोजन हेतु निजी वन कहलाएगा।

लोक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत निजी स्वामित्व की वे सभी भूमियां आ सकती हैं जिन्हें निजी भूमिस्वामी लोक वानिकी अधिनियम के तहत लाना चाहता है तथा उन पर खड़े प्राकृतिक वृक्षों अथवा वृक्षारोपण द्वारा तैयार वृक्षों से आमदनी लेना चाहता है अथवा प्रबन्धन कराना चाहता है। इसके लिये न्यूनतम क्षेत्रफल अथवा न्यूनतम वृक्ष घनत्व की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

2.3. लोक वन

''लोक वन'' से अभ्रिप्रेत (अभिप्राय) है राजस्व भूमि का कोई भाग जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रयोजन के लिए वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रूप में हस्तांतरित किया गया हो और जिसके लिए इन नियमों के उपबंधो के अधीन प्रबंधन योजना तैयार की गई हो। राजस्व भूमि पर मौजूद बड़े झाड़ तथा छोटी झाड़ियों के वन एवं पड़त भूमि, लोक वन के अंतर्गत कहलाएगें।

इस प्रकार सामुदायिक भूमि के वन, पड़ती भूमि के वन, नदी, सड़क एवं नहर के किनारे के वन जो लोक वानिकी के तहत प्रबंधन के लिये ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को हस्तांतरित किये गये हों, भी ”लोक वन“ की श्रेणी में आ जाते हैं ।

<u>अध्याय – 3</u>

लोक वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गठित समितियाँ व सम्बद्ध संस्थायें

3.1

लोक वानिकी मिशन के क्रियान्वयन में विभिन्न संस्थाओं का योगदान होगा । राज्य स्तर से लेकर ग्राम एवं कृषक स्तर तक जो भी इस कार्यक्रम से जुड़ा होगा, वह निम्न दर्शित विभिन्न संस्थाओं से आपस में जुड़ा एवं संबद्ध रहेगा ।

3.2. लोक वानिकी मिशन

मध्यप्रदेश में लोक वानिकी कार्यक्रम के संचालन व समन्वय हेतु प्रदेश स्तर पर लोक वानिकी मिशन का गठन किया गया है। वर्तमान में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी) इस मिशन के मिशन लीडर हैं। वे नियम 8(4), (5) व (9) के प्रयोजन हेतु "राज्य स्तर पर भार साधक अधिकारी, लोक वानिकी" भी होंगे।

3.3. समितियों का गठन

लोक वानिकी कार्यक्रम को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्रदेश से लेकर जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर तक निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है।

3.3.1 प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र0 एफ–19/6/2001/1/4 दिनांक 17–9–2002 द्वारा लोक वानिकी मिशन से संबंधित गतिविधियों के अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु समिति का गठन किया गया था ।

3.3.2 कार्यकारी समिति

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र0 एफ–19/5/2002/1/4 दिनांक 19–9–2002 द्वारा प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति की कार्यकारी समिति का गठन किया गया था ।

टीप : **म0 प्र0 शासन, वन विभाग के आदेश क्र0 19–5/2002/1/4 दिनांक 06–05–05 के द्वारा प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति एवं कार्यकारी समिति भंग कर दी गई है ।**

3.3.3 जिला स्तरीय समिति

इस समिति की अध्यक्षता जिले के क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी के द्वारा की जाएगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. अध्यक्ष, जिला लोक वानिकी किसान संघ
2. सचिव एवं विभिन्न पदाधिकारी, जिला लोक वानिकी किसान संघ
3. जिले से चुने हुए कृषक प्रतिनिधि
4. उप वन मंडलाधिकारी
5. वन परिक्षेत्राधिकारी

3.3.4 विकास खण्ड स्तरीय निगरानी समिति

प्रत्येक विकास खण्ड अथवा उसके किसी भाग के लिए लोक वानिकी अंतर्गत निजी वनों/लोक वनों की स्वीकृत प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन की मानीटरिंग हेतु सक्षम प्राधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) द्वारा निगरानी समिति का गठन किया जायेगा, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :

1. क्षेत्रीय परिक्षेत्र अधिकारी – अध्यक्ष
2. गैर सरकारी व्यक्ति या संगठन का एक प्रतिनिधि – सदस्य
3. राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि – सदस्य
4. किसी ग्राम पंचायत/ग्राम सभा का प्रतिनिधि – सदस्य

3.4. लोक वानिकी किसान संघ

लोक वानिकी कार्यक्रम में किसानों की अहम भूमिका को देखते हुए उनके संघ की परिकल्पना की गई है। ये संगठन अशासकीय संस्थाओं व स्व–सहायता समूहों के रूप में विकसित हो सकेंगे। संघ के रूप में वे सदस्यों की वनोपज के व्यवस्थित व अधिक लाभप्रद विपणन हेतु बेहतर बाजार व्यवस्था के विकास में भी अपना योगदान दे सकेंगे। विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार किसान संघों के गठन की परिकल्पना की गयी हैः–

3.4.1 मध्य प्रदेश लोक वानिकी किसान संघ

प्रदेश स्तर पर इस संघ के गठन की व्यवस्था है । यह संघ मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसायटीज अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटीज के कार्यालय में पंजीकृत है। इसकी कार्यकारिणी में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि पदाधिकारियों का प्रावधान है।

3.4.2 जिला लोक वानिकी किसान संघ

यह संघ जिला स्तर पर कार्यरत होगा। इसमें जिले के वे कृषक सदस्य हो सकते हैं जो अपने निजी स्वामित्व के वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का प्रबन्धन लोक वानिकी के तहत करना चाहते हैं। इस संघ के कार्यों में पड़त भूमि का विकास, वनौषधि रोपण, वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का प्रबन्धन, कृषकों की समस्याओं का निराकरण इत्यादि सम्मिलित है। जिला स्तर के इन संघों के कुछ प्रतिनिधि मध्य प्रदेश लोक वानिकी किसान संघ के भी सदस्य नामांकित किये जाते हैं।

3.4.3 लोक वानिकी किसान समूह

यह समूह स्थानीय स्तर पर स्व–सहायता समूह के रूप में गठित होंगे। इनके मुख्य कार्य स्थानीय स्तर पर सदस्य किसानों की समस्याओं का निराकरण, प्राप्त वनोपज के लाभप्रद विपणन के प्रयास करना, रोपण/प्रबन्धन तकनीकों का आदान–प्रदान इत्यादि होंगे।

3.5 कार्य समूह

लोक वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सुविधा हेतु इस कार्यक्रम से सम्बद्ध विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, पदाधिकारियों, हितग्राहियों, विशेषज्ञों इत्यादि को निम्नानुसार अनौपचारिक कार्य समूहों (Functional Groups) में वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.5.1 उत्पादक समूह

ऐसे कृषक जो कि निजी वन धारक हैं या ऐसी संस्थायें जो लोक वन धारक है तथा ऐसे कृषक एवं समूह जो वृक्षारोपण द्वारा तैयार वन के स्वामी है, उत्पादक समूह के अंतर्गत आयेंगे। इस समूह में विभिन्न वृक्षारोपण कम्पनियॉ भी आयेंगी।

3.5.2 कार्य पालक समूह

लोक वानिकी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न शासकीय विभाग जैसे वन विभाग, राजस्व विभाग एवं उनका अमला आदि, इस समूह में आयेगे। ये सभी कार्यपालक संस्थायें निजी/लोक वन स्वामी की प्रबन्ध योजना के आवेदन स्वीकृति से लेकर योजना के क्रियान्वयन, वनोपज विदोहन, परिवहन व विपणन तक विभिन्न नियमों, अधिनियमों एवं प्रक्रिया के विभिन्न भागों के अनुपालन में उत्पादकों को सहयोग प्रदान करेगें ।

3.5.3 प्रोफेशनल (व्यावसायिक) समूह

इस समूह में मुख्यतः चार्टर्ड फारेस्टर्स अथवा अन्य वानिकी विद आयेंगे। निजी/लोक वन क्षेत्रों की प्रबन्ध योजना को तैयार करने तथा सस्य के सर्वेक्षण, मूल्यांकन तथा दोहन चक्र के निर्धारण तथा आर्थिक आंकलन करने का कार्य विभिन्न वानिकी विदों के माध्यम से किया जावेगा। ये वानिकी विद कार्य योजना तैयार करने के लिए भूमि स्वामी से शुल्क के रूप में राशि प्राप्त करेगें। इस संबंध में पारस्परिक चर्चा से कार्यवाही करने हेतु वानिकी विद एवं भूमि स्वामी स्वतंत्र हैं।

3.5.4 अनुसंधान समूह

यह समूह लोक वानिकी कार्यक्रम में प्रबन्ध योजनाओं के वैज्ञानिक प्रबन्धन की नई वैज्ञानिक तकनीक, वृक्षारोपण तकनीक, उन्नत क्लोनल प्रजातियां, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, कीट प्रकोप एवं निदान, पर्यावरणीय प्रभावों, नये शोध परिणामों के उपयोग आदि महत्वपूर्ण विषयों पर कृषकों (उत्पादकों) को आवश्यकता होने पर नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने का कार्य करेगें। इस समूह में देश, प्रदेश की प्रमुख शोध संस्थाएं जैसे राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, वन विभाग, विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान एवं गैर शासकीय शोध संस्थाएं आदि आयेगी जो कि कृषकों एवं उनकी प्रबन्ध योजनाओं से जुड़कर लोक वानिकी कार्यक्रम को सफल बनााने में अपना योगदान प्रदान करेगी ।

3.5.5 उपभोक्ता समूह

लोक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत निजी/लोक वन के उत्पादकों से प्राप्त वन उपज का उपयोग करनेवाली संस्थाएं एवं व्यक्ति इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो कि कृषकों (उत्पादकों) को उनकी उपज का उचित आर्थिक मूल्य प्रदान करेगी । इस कार्यक्रम में निजी/लोक वन की उपज की सीधे वन विभाग के माध्यम से भी खरीदी का प्रावधान है। वन उत्पादों का उपयोग करने वाली विभिन्न संस्थाएं जैसे काष्ठ व वनोपज आधारित बड़े/मंझले/छोटे उद्योग, गृह निर्माण कम्पनियाँ एवं व्यक्तिगत उपभोक्ता आदि उत्पादकों की वन उपज को क्रय कर उत्पादकों को आर्थिक लाभ प्रदान करने का कार्य करेगें ।

3.5.6 लोक वानिकी कार्यक्रम की सफलता के लिए उपरोक्त समूहों के बीच उचित समन्वय, आपसी समझ व तालमेल की आवश्यकता है, तभी सबको इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। इन कार्य समूहों की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है तथा इनका अधिनियम/नियमों में भी उल्लेख नहीं है।

<u>अध्याय – 4</u>

चार्टर्ड फारेस्टर

4.1 **"चार्टर्ड फारेस्टर"** का अस्तित्व मूल अधिनियम (**म. प्र. लोक वानिकी अधिनियम, 2001 को संशोधित कर**) (अधिनियम की धारा 2(ग), 3 व 7 तथा नियम 8 एवं 9) से लोप किया गया है ।

म. प्र. अधिनियम क्रमांक 25 सन् 2005

म. प्र. लोक वानिकी (संशोधन) अधिनियम, 2005
(म.प्र. राजपत्र क्रमांक 436 दिनांक 15 सितम्बर 2005)

म. प्र. लोक वानिकी अधिनियम, 2001 को संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज के 56 वें वर्ष में म.प्र. विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम म. प्र. लोक वानिकी (संशोधन) अधिनियम, 2005 है।

2. म. प्र. लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्र 10 सन् 2001) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा–2 में, खण्ड (ग) का लोप किया जाय।

3. मूल अधिनियम की धारा–3 में, शब्द **"चार्टर्ड फारेस्टर द्वारा"** का लोप किया जाय ।

4. मूल अधिनियम की धारा–7 का लोप किया जाय।

5. मूल अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (2) में, खण्ड (ड) का लोप किया जाय ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अखिलेश पंड्या, अपर सचिव

4.2 **"चार्टर्ड फारेस्टर"** का अस्तित्व मूल नियम (**म. प्र. लोक वानिकी नियम, 2002 को संशोधित कर**) निम्नानुसार संशोधन किया गया है –

दिनांक 18 जनवरी, 2006

क्र.एफ.25–46–98–दस–2–मध्यप्रदेश लोकवानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) की धारा–11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोकवानिकी नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः–

संशोधन

उक्त नियमों में, –
(1) नियम–4 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थातः–

''(2) वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए, भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत या ग्रामसभा, इस विषय में उनके स्वविवेकानुसार किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने के लिए सक्षम होंगे,''

(2) नियम–5 में, –

(क) उपनियम (3) में शब्द और चिन्ह, ''आवेदक/चार्टर्ड फारेस्टर'' के स्थान पर शब्द ''आवेदक'' स्थापित किया जाए;

(ख) उपनियम (7) में, शब्द ''तथा संबंधित चार्टर्ड फारेस्टर को प्रज्ञापना के साथ'' का लोप किया जाए ;

(ग) उपनियम (9) में, शब्द ''चार्टर्ड फारेस्टर'' का लोप किया जाए;

(3) नियम 8 तथा 9 का लोप किया जाए,

(4) प्ररूप क्रमांक 1 में, –

(क) अनुक्रमांक 10 के स्थान पर निम्नानुसार अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थातः–

''10. योजना तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता''

(ख) अनुक्रमांक 11 में, पैरा 2 में शब्द ''चार्टर्ड फारेस्टर को, जिसका नाम पैरा 8 में उपदर्शित किया गया है'' का लोप किया जाए,

(5) प्ररूप क्रमांक 2 में, –

(क) अनुक्रमांक 10 के स्थान पर निम्नानुसार अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थातः–

''10. योजना तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता''

(ख) अनुक्रमांक 11 में, पैरा 3 में शब्द ''चार्टर्ड फारेस्टर को, जिसका नाम पैरा 9 में उल्लिखित है'' का लोप किया जाए,

(6) प्ररूप 5, प्ररूप 6 तथा प्ररूप 7 का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एम. बेलवाल, अपर सचिव

अतः वर्तमान स्थिति मे भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत/ग्राम सभा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु चार्टर्ड फारेस्टर के ऊपर निर्भर नहीं हैं, उन्हे यह विकल्प दिया गया है कि इस प्रयोजन हेतु वे किसी भी व्यक्ति को स्वविवेकानुसार नियोजित कर सकते है। चार्टर्ड फारेस्टर से प्रबंधन योजना का निर्माण करवाया जाना वर्तमान में बंधनकारी नहीं हैं। वन तथा उनके प्रबंधन के संबंध में ज्ञान तथा रूचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा स्वयं प्रबंधन योजना बनाया जाकर वन मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है । जिसके अध्ययन उपरांत नियमानुसार सही पाये जाने की स्थिति मे वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है । चार्टर्ड फारेस्टर शब्द का लोप अवश्य किया गया है, परंतु कोई भूमिस्वामी ग्राम पंचायत /ग्राम सभा स्वेच्छानुसार उन्हे भी इस कार्य हेतु नियोजित कर सकते है इस हेतु प्रबंधन योजना उन्हे (भूमिस्वामी ग्राम पंचायत /ग्राम सभा द्वारा) स्वंय प्रस्तुत करना होगा।

अध्याय – 5

लोक वानिकी के अन्तर्गत प्रबन्धन हेतु आवेदन प्रक्रिया

(कृपया नियम 3 भी देखें)

5.1 आवेदन कहाँ करना होगा ?

5.1.1 निजी भूमि के प्रकरणों में

यदि कोई भूमिस्वामी अपने निजी वन का प्रबन्धन लोक वानिकी के अंतर्गत करना चाहता है, तो उसे वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत वन क्षेत्रपाल या अन्य वनाधिकारी को कंडिका – 5.2.1 में दर्शित अभिलेखों सहित आवेदन करना होगा।

5.1.2 राजस्व भूमि के प्रकरणों में

यदि कोई ग्राम पंचायत या ग्राम सभा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित किसी वृक्ष आच्छादित राजस्व भूमि के प्रबंधन का जिम्मा लेना चाहती है तो वह इस संबंध में अपनी बैठक में संकल्प पारित करेगी तथा तत्पश्चात् पारित संकल्प की प्रति सहित, उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) को भूमि का सीमांकन करने तथा ''लोक वन'' के रूप में प्रबंध किये जाने के लिये उसको हस्तांतरित करने हेतु आवेदन करेगी। उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) 30 दिन की समयावधि के भीतर आवेदन पर निर्णय लेकर आदेश पारित करेगा।

यदि उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) आवेदक के पक्ष में निर्णय लेता है तो निर्णय की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर वह भूमि के संबंध में प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन एवं भूमि स्थल का निरीक्षण करवाकर स्वयं का समाधान करेगा तथा सीमांकन करवाएगा । इसके पश्चात् संबंधित ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को भूमि हस्तांतरित करेगा। भूमि का आधिपत्य प्राप्त करने के पश्चात्, सम्बन्धित ग्राम पंचायत या ग्राम सभा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के रूप में वैज्ञानिक प्रबंधन के लिये वन मंडल अधिकारी द्वारा प्राधिकृत वन क्षेत्रपाल/वन अधिकारी को, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) के आदेश की प्रति तथा नीचे कंडिका – 5.2.2 में दर्शित अभिलेखों सहित, आवेदन प्रस्तुत करेगी।

5.2 लोक वानिकी के अंतर्गत वन प्रबन्धन हेतु आवेदन के साथ भूमि स्वामी द्वारा दिये जाने वाले आवश्यक अभिलेख

5.2.1 निजी भूमि के प्रकरणों में

भूमिस्वामी द्वारा आवेदन के साथ निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे :

1 भूमि के स्वामित्व संबंधी घोषणा ।

2 अभिलेख जिससे भूमि का स्वामित्व प्रमाणित हो सके ।

3 खसरे का पटवारी नक्शा, जिसमें लगे हुए सर्वे क्रमांक भी दर्शाये गये हो।

4 भूमिस्वामी की लिखित सहमति (सयुक्त खाते की दशा में समस्त खातेदारों की सहमति)।

5 आवेदित भूमि में खड़े वृक्षों की प्रजातिवार संख्या की जानकारी।

6 भूमिस्वामी की जमीन वन भूमि से लगी होने पर, इसका आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

5.2.2 राजस्व भूमि के प्रकरणों में

ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा आवेदन के साथ निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे :

1 भूमि के कब्जे संबंधी ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा घोषणा ।

2 ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा बैठक में पारित संकल्प की प्रति ।

3 खसरे का पटवारी नक्शा, जिसमें लगे हुए सर्वे क्रमांक भी दर्शाये गये हो।

4 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा निर्णय के सम्बन्ध में पारित आदेश।

5 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा कराये गये भूमि सीमांकन का अभिलेख।

6 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा कराये गये भूमि हस्तांतरण का अभिलेख।

7 आवेदित भूमि में खडे वृक्षों की प्रजातिवार संख्या की जानकारी।

8 आवेदित भूमि वन भूमि से लगी होने पर, इसका आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

5.3 आवेदन पर की जाने वाली कार्रवाई तथा समय सीमायें

5.3.1 वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत वन क्षेत्रपाल/वन अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर पटवारी को भूमिस्वामी द्वारा आवेदन के साथ दी गई घोषणा की प्रति भेजेगा।

5.3.2 पटवारी राजस्व अभिलेखों से दावे को सत्यापित करेगा और 15 दिन के अन्दर प्रमाण–पत्र देगा। यदि पटवारी इस समय सीमा के भीतर प्रमाण–पत्र देने में असफल रहता है तो भूमि स्वामी द्वारा दी गयी घोषणा सही समझी जावेगी। तदनन्तर यदि ऐसे अभिलेखों में किसी अंतर का पता चलता है तो पटवारी तथा वह व्यक्ति जिसने घोषणा दी है, उसके लिये उत्तरदायी होंगे और सुसंगत विधि के अधीन दण्डनीय होंगे।

5.3.3 यदि आवेदित भूमि सीमा, वन भूमि से निकट हो तो प्राधिकृत वन क्षेत्रपाल/वन अधिकारी, सीमा के बारे में स्वयं का समाधान कर प्रमाणित करेगा। इस कार्य हेतु वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने अधीनस्त कर्मचारियों सहित स्थल का निरीक्षण करेगा तथा स्थल पर आवेदक की उक्त भूमि के सीमांकन को सत्यापित करेगा। इसके अतिरिक्त, विभागीय अभिलेखों के आधार पर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदित भूमि वन विभाग की शासकीय भूमि का भाग तो नहीं है। यदि है, तो निर्ष्कर्षो सहित इस आशय का प्रतिवेदन तैयार कर वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय को प्रेषित करेगा।

5.3.4 प्राधिकृत वन क्षेत्रपाल/वन अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन की समयावधि के अन्दर अभिलेखों के प्रमाणीकरण के बारे में आवेदक भूमिस्वामी/ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को सूचित करेगा तथा वन मण्डलाधिकारी को भी अपना प्रतिवेदन भेजेगा। यदि ऐसी सूचना आवेदन प्राप्त होने के 60 दिवस के अन्दर संबंधित भूमि स्वामी/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को प्राप्त नहीं होती तो यह माना जावेगा कि आवेदन के साथ प्रस्तुत अभिलेखों को सही मानकर स्वीकार कर लिया गया है।

अध्याय – 6

प्रबंधन योजना तैयार किया जाना

(कृपया अधिनियम की धारा 3 तथा नियम 4 भी देखें)

6.1 पूर्व अध्याय – 5 में विहित प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात्, आवेदन कर्त्ता वन मण्डल कार्यालय में अपने निजी स्वामित्व के वन/लोक वन क्षेत्र की प्रबन्धन योजना बनाये जाने के संबंध में सम्पर्क करेगा।

निजी एवं लोक वन क्षेत्रों की वन संपदा की प्रबंधन योजना सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय भूमिका को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रबन्धन योजना में विशेषतः निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे :

(क) काष्ठ एवं अकाष्ठ दोनों ही प्रकार के वन उत्पादों के सतत् उत्पादन को सुनिश्चित करना।

(.ख) प्राकृतिक पुनरूत्पादन को प्रोत्साहित व संरक्षित करना तथा उपयुक्त प्रजातियों का रोपण करना।

(ग) परिपक्व, अधिक परिपक्व, सूखे एवं रोग ग्रस्त तथा आंधी से गिरे वृक्षों को हटाना।

(घ) सस्य की वनवर्धनिक आवयश्कताओं के अनुरूप विरलन तथा कांट–छांट करना।

(ड) वन सस्य को कीटों/रोगों से बचाने के लिए समुचित प्रावधान करते हुए उसके स्वास्थ्य तथा जीवन शक्ति में सुधार करना।

(च) मिट्टी व नमी का संरक्षण सुनिश्चित करना।

6.2 योजना अवधि एवं प्ररूप

प्रबंधन योजना 10 वर्ष की कालावधि के लिए लोक वानिकी नियम, 2002 की अनुसूची–एक में दिए गए प्ररूप (फार्मेट) में तैयार की जावेगी।

6.3 मूलभूत सिद्धांत

प्रबन्धन योजना बनाने के मूलभूत सिद्धांत निम्न है :–

(1) आवेदित भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिये नही किया जावेगा अर्थात् भू उपयोग पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

(2) भूमि की उत्पादक क्षमता में वृद्धि एवं सतत् रूप से अधिकतम उत्पादन एवं आय प्राप्त करना।

6.4 सीमांकन

भूमिस्वामी के जिस क्षेत्र की वन सम्पदा का आंकलन किया जा रहा है, उसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए तथा क्षेत्र की सभी सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि आवेदित भूमि के क्षेत्र की कोई सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है तो उस पर पहचान का स्पष्ट चिन्ह पटवारी से बनवाकर उसका उल्लेख इस अभिलेख में किया जाना चाहिए।

6.5 वन संपदा का आंकलन

वन सम्पदा के आंकलन का कार्य करते समय केवल वृक्षों की गिनती तक सीमित न रह कर, क्षेत्र की प्रमुख वृक्ष प्रजातियों के पुनरूत्पादन की दशा, उपयोगी वृक्ष प्रजातियों के जड़ भंडार, प्रमुख घास प्रजातियों की उपलब्धता, औषधि और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी अन्य पौधे तथा वन संपदा को प्रभावित करने वाले कारक और जोखिम की जानकारी का आंकलन, मौका निरीक्षण के आधार पर किया जाकर, प्राप्त विवरण अंकित किया जाएगा। वर्धमान संनिधि (Growing Stock) की जानकारी तुलनात्मक दृष्टिकोण से घना, मध्यम एवं विरल के मापदण्ड पर दर्शाई जायेंगी।

6.6 प्रबंधन योजना बनाने के संबंध में दिशा निर्देश

लोक वानिकी अधिनियम 2001 के अंतर्गत प्रावधान है कि, किसी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का सतत् प्रबंधन करने के इच्छुक भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा को उस क्षेत्र के लिए एक वैज्ञानिक प्रबंधन योजना बनवानी होगी। प्रबंधन योजना लोक वानिकी नियम 2002 के प्ररूप में बनाई जाएगी। प्रबंधन योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र के लिए एक वन संसाधन सर्वेक्षण अभिलेख तैयार किया जावेगा । इसमें क्षेत्र में खड़े वृक्षों की प्रजाति, दशा एवं आवक्ष गोलाई का विवरण होने के साथ साथ क्षेत्र में मौजूद अन्य वनस्पति का भी विवरण होगा।

किसी शासकीय वन से सटे हुए निजी स्वामित्व के क्षेत्र या राजस्व क्षेत्र के लिये प्रबंधन योजना बनाये जाने की स्थिति में शासकीय वनों को अवैध कटाई से बचाने की दृष्टि से प्रबंध योजना में आवश्यक रक्षोपाय विहित किये जाएगें। निजी स्वामित्व या राजस्व विभाग के वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के लिये बनाई जाने वाली प्रबंधन योजना उस क्षेत्र के वनस्पति आवरण की निरन्तरता को बनाये रखने एवं उसके संवर्धन को ध्यान में रखकर निर्मित की जाएगी जिससे यह पर्यावरणीय एवं आर्थिक, दोनों भूमिकाओं को पूर्णता से निभाते हुए भूमि स्वामी के लिये नियमित आय का साधन बन सके। प्रबंधन योजना क्षेत्र के पर्यावरण तथा सूक्ष्म जलवायु की सुरक्षा, भू–जल सवंर्द्धन तथा उत्पादन से नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप होगी।

निजी स्वामित्व के वन या लोक वन के रूप में प्रबंधन हेतु प्रस्तावित छोटे–बड़े झाड़ के जंगल हेतु प्रबंधन योजना बनाने के लिये नियत किये गये मानक प्ररूप का उपयोग किया जायेगा। इस मानक प्ररूप के अनुसार प्रबंधन योजना तैयार करते समय वानिकी के समस्त वैज्ञानिक बिंदुओं एवं विभिन्न शीर्षकों में वांछित जानकारी भरने के बारे में मार्गदर्शी बिंदु निम्नानुसार है :–

6.7 प्रबंधन योजना का मानक प्ररूप

प्रबन्धन योजना मानक प्ररूप (फार्मेट) में तैयार की जाएगी। प्रबन्धन योजना के दो भाग होंगे। भाग – 1 में प्रबन्धन योजना के उद्देश्य, ग्राम तथा योजना क्षेत्र का परिचय, योजना क्षेत्र में उपलब्ध वन संपदा की वर्तमान दशा, पूर्व में किये प्रबन्धन का विवरण तथा उसके परिणामों का विश्लेषण किया जायेगा । भाग – 2 में भावी प्रबन्धन की योजना का वर्णन किया जायेगा ।

6.8 भाग – एक : उद्देश्य, संबंधित भू.भाग तथा फसल

6.8.1 प्रबंधन योजना के उद्देश्य

इसके अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य शासन की नीतियों तथा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मुख्यतः आवेदक की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप प्रबंधन के उद्देश्य निर्धारित कर अभिलिखित किये जायेंगे।

6.8.2 ग्राम का परिचय

इस अध्याय के अंतर्गत उस ग्राम का संक्षिप्त परिचय दिया जाना चाहिये जिसमें वृक्ष आच्छादित क्षेत्र अथवा भूमि स्वामी के वन/लोक वन स्थित है। इसके अंतर्गत गॉव का सामान्य परिचय, सामाजिक–आर्थिक दशा, अधोसंरचना, विकास की स्थिति आदि के बारे में जानकारी देने के अतिरिक्त गॉव के समीप स्थित अन्य वनों (शासकीय अथवा निजी) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिये। यदि उस गॉव में परंपरागत रूप से वनोपज.आधारित कोई कुटीर उद्योग चल रहे हैं अथवा पूर्व में स्थापित थे, तो उनकी जानकारी का भी समावेश किया जावे। विभिन्न वन उपजों की गांव में उपलब्धता व स्थानीय बाजार की जानकारी भी सम्मिलित की जाये।

6.8.3 निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र/निजी वन/लोक वन का परिचय

भूमिस्वामी/ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के अधिकृत प्रतिनिधि से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया विवरण यहां भरा जायेगा। इस अध्याय में निम्नलिखित खण्ड होंगेः–

6.8.3.1 सामान्य

इसके अंतर्गत आवेदित वन भूमि की सामान्य जानकारी जैसे–पूर्व प्रबन्धन, विदोहन, आय प्राप्तियां, कीट व रोगों के प्रकोप एवं अपनाये गये सुरक्षा के उपायों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है।

6.8.3.2 भूमिस्वामी/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम/पिता/पति का नाम

यदि प्रबंधन योजना किसी एक भूमि स्वामी की बनाई जा रही है, जिस पर कि उसके अकेले का स्वामित्व है, तो उस भूमि स्वामी का नाम, पति/पिता का नाम आदि दिया जाये। यदि प्रश्नाधीन खसरे का स्वामित्व संयुक्त रूप से है अर्थात् खसरे पर एक से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व हो, तो ऐसे सभी भूमि स्वामियों के नाम तथा पिता/पति का नाम दिया जाये। लोकवन के रूप में प्रबंधन के लिये तैयार की जाने वाली प्रबंधन योजना प्रकरण में ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर लिखित में अधिकृत किये गए प्रतिनिधि का नाम, पदनाम तथा उसके पिता/पति का नाम दिया जावें।

6.8.3.3 प्रवर्ग (सामान्य/अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग)

प्रबंधन योजना में आवेदक की जाति/प्रवर्ग अर्थात् सामान्य/अनु. जाति/अनु. जन जाति / पिछड़ा वर्ग की जानकारी दी जाएगी । अनुसूचित जन जाति के प्रकरण में जन जाति के नाम का भी उल्लेख किया जावेगा ।

6.8.3.4 भूमि स्वामी का डाक का पूरा पता

आवेदक जिस स्थान पर सामान्यतः रहता है, वहां का पूरा पता यथा संभव पिन कोड के साथ दिया जाये ।

6.8.3.5 भूमिस्वामी की आर्थिक स्थिति (केवल निजी क्षेत्र के मामलों में)

इस कंडिका में जानकारी भरने के लिये भू–स्वामी की विगत वर्षों की स्व.घोषित आय के आधार पर उसकी आर्थिक स्थिति को मान्य किया जाये । आवेदक के पास उपलब्ध कृषि भूमि एवं पशुओं की जानकारी भी दी जानी चाहिए ।

6.8.3.6 पटवारी हल्का क्रमांक/खसरा क्रमांक

यह जानकारी पी – 2 (खसरा–पंचसाला) की सत्यापित प्रति के आधार पर भरी जाये।

6.8.3.7 राजस्व निरीक्षक वृत्त (सर्किल)/तहसील

संबंधित भूमि स्वामी यह जानकारी तहसील कार्यालय से प्रमाणित पी–2 की प्रति जिसमें राजस्व निरीक्षक वृत्त का उल्लेख हो, प्राप्त कर देगा एवं उसके आधार पर जानकारी भरी जाये।

6.8.3.8 खसरा की अवस्थिति

यह जानकारी इस प्रकार भरी जाये कि बिना मानचित्र देखे प्रमुख स्थाई चिन्ह (किसी प्रमुख नगर/कस्बे/शहर, सड़क, मंदिर, तालाब इत्यादि से दूरी एवं दिशा का उल्लेख किया जाये) के आधार पर खसरे की स्थिति का अनुमान लगाया जा सके।

6.8.3.9 क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

खसरे का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख (फार्म पी–2) से पुष्टि करते हुए हेक्टयर में लिखा जाना है।

6.8.3.10 सीमाएं एवं सीमांकन प्रास्थिति

राजस्व अभिलेख में अंकित खसरे की सीमा का मिलान मौके पर स्थानीय पूछताछ के आधार पर किया जाये। यदि कोई स्थाई पहचान चिन्ह खसरे के समीप हो, तो उसका विवरण भी अंकित किया जावें। खसरे के चारों ओर अन्य जो भी खसरे हैं, उनको भी मानचित्र एवं अभिलेख में दर्शाया जावे तथा यह स्पष्ट किया जाये कि खसरे का सीमांकन मुनारे द्वारा या अन्य किस प्रकार से किया गया है।

6.8.3.11 स्वामित्व की विधिक प्रास्थिति (*राजस्व विभाग के खसरा पाँच साला के अनुसार*)

राजस्व अभिलेखों के आधार पर खसरे के स्वामित्व की वर्तमान स्थिति अंकित की जाये। पटवारी अभिलेख के अनुसार स्वामित्व के संबंध में स्पष्ट विवरण अंकित किया जाये तथा प्रमाण स्वरूप यह अभिलेख भी संलग्न किये जाये। इसके अतिरिक्त राजस्व अभिलेख में दर्ज नोईयत विवरण जैसे बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल, चरनोई इत्यादि अंकित किया जायेगा।

6.8.3.12 विगत 10 वर्षो से खसरे के स्वामित्व का विवरण

इस जानकारी की आवश्यकता इसलिए है कि पूर्व अभिलेखों में दर्शाया गया शासकीय वन अनुचित तरीके से निजी स्वामित्व में परिवर्तित तो नहीं हो गया है, या किसी आदिवासी की भूमि का क्रय किसी गैर आदिवासी द्वारा शासकीय प्रावधानों का उल्लंघन करके तो नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में ग्राम पंचायत/ग्राम सभा/भूमि–स्वामी से इस आशय का एक घोषणा पत्र प्राप्त कर पटवारी से प्रमाणित करवा कर प्रबन्ध योजना में संलग्न किया जाये ।

6.8.3.13 क्या पैतृक सम्पत्ति के रूप में अर्जित की गई या क्रय की गई ?

इसके अंतर्गत भूमि स्वामी के पास विद्यमान भूमि की वैधानिक प्राप्ति का विवरण प्रस्तुत करना है। जैसे :– यदि भूमि पैतृक स्वामित्व के अंतर्गत प्राप्त हुई है या दान में प्राप्त हुई है, तो उसका पूर्ण विवरण अर्थात् पूर्व के भूमि स्वामी से संबंध, संपत्ति अंतरण का कारण, वर्ष आदि का उल्लेख किया जाये । यदि भूमि क्रय की गयी है, तो विक्रेता का नाम, पता, वर्ष यदि विक्रेता का स्वर्गवास हो चुका

है या वह गॉव छोड़कर चला गया है तो उसका विवरण तथा यदि भूमि राज्य शासन द्वारा आबंटित की गयी है तो आबंटन का आधार/योजना/कारण आदि की जानकारी दी जाये।

6.8.3.14 टोपोग्राफी (भू–समाकृति) *(25 डिग्री से अधिक ढाल वाले क्षेत्रों का विशेष रूप से उल्लेख)*

आवेदित भूमि की समाकृति दर्शाई जाये जैसे–क्षेत्र समलत है, पहाडी, उबडखाबड, टीला या ढलान युक्त इत्यादि है तो इसका उल्लेख किया जाये । जल धाराओं के किनारे और पच्चीस डिग्री से अधिक की ढलान वाली भूमि पर मिट्टी और नमी का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना, योजना की अनिवार्य शर्तो में से एक होगा। अतः इसमें क्षेत्र का ढलान, विशेषकर नदी, बारहमासी नाले आदि की स्थिति का उल्लेख किया जाये।

6.8.3.15 मिट्टी का प्रकार तथा गहराई

प्रबन्धन योजना के लिए प्रस्तावित खसरे में मिट्टी का स्वरूप एवं गहराई के बारे में भू–स्वामी से प्राप्त जानकारी अंकित की जाये। यदि भू–स्वामी द्वारा कभी उस क्षेत्र की मिट्टी का रासायनिक परीक्षण एवं विश्लेषण कराया गया हो तो उसका विवरण भी अवश्य अंकित किया जाये। यदि परीक्षण नहीं कराया गया है, तो आवेदित भूमि से मिट्टी के नमूने एकत्र कर परीक्षण कराया जाये तथा रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी दी जाये।

6.8.3.16 खसरे से निकटतम शासकीय वन की दूरी तथा उसके ब्यौरे

खसरे की सीमाएं शासकीय वन/अन्य निजी वन/वृक्ष आच्छादित क्षेत्र से सटी हों तो निकटवर्ती शासकीय वन का प्रकार/कंपार्टमेंट नंबर/बीट इत्यादि का विवरण देते हुए उसकी खसरे से दूरी मीटर अथवा कि.मी. में दर्शाई जाये। इस जानकारी की आवश्यकता शासकीय वनों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है।

6.8.3.17 भू–भाग में जल की उपलब्धता

प्रस्तावित क्षेत्र में भू–जल स्तर (वाटर टेबिल) की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी भी दी जानी है। यदि क्षेत्र के पास में कोई नदी, नहर या नाला बहता है अथवा कोई तालाब इत्यादि हो तो उसका उल्लेख किया जाये।

6.8.4 फसल का विवरण

6.8.4.1 फसल का प्रकार

वनमंडल की कार्य आयोजना में दर्शाई गई परिभाषा के अनुसार प्रबंधन योजना के क्षेत्र में खड़ी वन सस्य के प्रकार का उल्लेख किया जाये। यह उल्लेख किया जायेगा कि क्षेत्र में साल, सागौन, खैर, सलई या मिश्रित इत्यादि, किस प्रकार का वन है ।

6.8.4.2 स्थल गुणवत्ता

प्रबंधन योजना में अखिल भारतीय स्थलगुण श्रेणी (साइट क्वालिटी) का उल्लेख किया जाये ।

6.8.4.3 फसल घनत्व

प्रबंधन योजना में लिये जा रहे क्षेत्र में खड़ी वन सस्य का छत्र घनत्व (केनापी डेन्सिटी) शून्य से एक के बीच दशमलव के एक अंक तक दर्शाया जायेगा।

6.8.4.4 फसल का आयु वर्ग

आयु के अनुसार प्रबंधन योजना में क्षेत्र की फसल को परिपक्व आयु, मध्य आयु तथा युवा आयु में दर्शाया जायेगा।

6.8.4.5 विद्यमान स्टॉक का विवरण

इसके अंतर्गत निम्न स्तरों/वर्गो में क्षेत्र में खड़ी वनस्पतियों का विवरण अंकित किया जायेगा।

क. टॉप केनोपी – इसमें सबसे लम्बे वृक्ष आयेगें।
ख. मिडिल केनोपी – इसमें मध्यम स्तर के वृक्ष आयेंगे।
ग. ग्राउंड फ्लोरा – इसमें सबसे नीचे के स्तर पर उपलब्ध वनस्पतियाँ आयेंगी।
घ. बेल (क्लाईम्बर)
ड़. घास
च. औषधीय पौधे
छ. घास पात
ज. गैर काष्ठ वनोपज (एन.टी.एफ.पी.)
झ. बांस

6.8.4.6 स्टॉक मानचित्र

प्रबंधन योजना में लिये जा रहे क्षेत्र का संनिधि मानचित्र, पटवारी मानचित्र पर तैयार किया जायेगा। इसमें वन प्रकार, स्थल गुणश्रेणी घनत्व एवं आयु वर्ग, रिक्त/चट्टानी क्षेत्र इत्यादि दर्शाये जायेगें। विभिन्न प्रकार की जानकारी दर्शाने के लिए उन्ही रंगो एवं चिन्हों का उपयोग किया जायेगा, जो कि मध्यप्रदेश राज्य में वन विभाग की कार्य आयोजनाओं के लिए निर्धारित है। इसके अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले चिन्हों एवं संकेतों को परिशिष्ट संलग्न कर दर्शाया जायेगा।

6.8.4.7 प्राकृतिक वन/रोपण (*सामान्य विवरण एवं वर्तमान प्रास्थिति*)

इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया जावेगा कि प्रस्तावित योजना क्षेत्र में कितना क्षेत्र प्राकृतिक वन है एवं कितना वृक्षारोपण किया गया है । यदि क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है, तो वृक्षारोपण वर्ष, रोपित प्रजातियाँ, उसका क्षेत्रफल एवं पटवारी के नक्शे पर वृक्षारोपण की स्थिति दर्शाई जायेगी।

6.8.4.8 भू–भाग (ट्रेक्ट) का वर्णन

(क) पूर्व की कटाई/रोपण

यदि क्षेत्र में पहले विदोहन अथवा वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां संपन्न हुई हों, तो उनका विवरण अंकित किया जायेगा, जिसमें यह स्पष्ट किया जायेगा कि पूर्व में कटाई/रोपण किस वर्ष में किया गया था। रोपण के संबंध में प्रजातिवार वृक्षों की संख्या एवं रोपण वर्ष का विवरण दिया जायेगा। पूर्व की कटाई से प्राप्त काष्ठ की मात्रा एवं विदोहित अन्य वन उत्पादों का विवरण भी दिया जायेगा।

(ख) पूर्व में की गई संक्रियाओं का परिणाम

क्षेत्र में यदि पूर्व में कोई वानिकी कार्य जैसे विरलन, सफाई, सिंचाई, उर्वरक/कीटनाशकों का प्रयोग, मृदा–जल संरक्षण इत्यादि किये गये हों तो उनके क्या परिणाम हुए और क्षेत्र में वनोपज की वृद्धि एवं पुनरुत्पादन पर क्या प्रभाव रहा, इसका विवरण दिया जाये ।

6.8.4.9 जैव विविधता की उपलब्धता

यदि क्षेत्र में कोई ऐसा वन्य प्राणी या वनस्पति प्रजाति पाई जाती है जो जैव विविधता की दृष्टि से दुर्लभ या संरक्षण योग्य है, तो उसके संबंध में जानकारी अंकित की जायेगी।

6.8.4.10 क्षति जिसके लिये फसल दायी है

सस्य को अवैध कटाई, अग्नि, अनियंत्रित चराई, बीमारियों, कीड़ों या अन्य किन्हीं कारणों से किसी प्रकार की क्षति हो रही हो या होने की संभावना है, तो इसका उल्लेख किया जाये।

6.8.5 फसल का विश्लेषण तथा मूल्यांकन

वन संसाधन सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार का विवरण अंकित किया जायेगा।

6.8.5.1 वृक्षों की प्रजातिवार संख्या, आयतन एवं उसका मूल्य

प्रबन्धन योजना तैयार करते समय प्रबंध योजना में प्रस्तावित भूमि में मौजूद वृक्षों का प्रजातिवार विवरण (संख्या, गोलाई, आयतन) दिया जायेगा। संसाधन सर्वेक्षण से प्रजातिवार इमारती एवं जलाऊ का आयतन ज्ञात करने के उपरांत प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर कुल मूल्य की गणना की जाना है। प्रचलित बाजार मूल्य ज्ञात करने के लिये वन संरक्षक द्वारा अवरोध मूल्य गणना हेतु निर्धारित दरों का उपयोग किया जा सकता है अथवा भूमिस्वामी सीधे बाजार सर्वेक्षण से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6.8.5.2 पुनरूत्पादन सर्वेक्षण के परिणाम

क्षेत्र में उपलब्ध मुख्य प्रजातियों के पुनरूत्पादन की दशा (प्रचुर, पर्याप्त अथवा अपर्याप्त) सर्वेक्षण के आधार पर नियत की जायेगी। वन विभाग की कार्य आयोजना के लिए प्रचलित पद्धति के अनुरूप पुनरुत्पादन सर्वेक्षण किया जायेगा।

6.8.5.3 बांस एंव घास की उपलब्धता

प्रबंधन योजना में लिये जा रहे क्षेत्र में बांस भिर्रे उपलब्ध होने की दशा में प्रजातिवार भिर्रो की संख्या, भिर्रो में बांसो की औसत संख्या व भिर्रो की अनुमानित आयु अंकित की जायेगी। क्षेत्र में प्रचुरता से पाई जाने वाली खाद्य एवं अखाद्य घास प्रजातियों का उल्लेख करते हुए खाद्य प्रजातियों से प्राप्त होने वाले घास के अनुमानित वार्षिक उत्पादन को भी दर्शाया जाये।

6.8.5.4 गैर काष्ठ वन उपज (एन.टी.एफ.पी./औषधीय पौधों की उपलब्धता)

संसाधन सर्वेक्षण के दौरान क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख अकाष्ठ वनोपजों/औषधीय पौधों की उपलब्धता, मात्रा तथा अन्य जानकारियां संकलित की जायेगी।

6.8.5.5 फार्म फैक्टर

विदोहन से प्राप्त होने वाले काष्ठ के आयतन की गणना के लिये उपयोग किए गये फार्म फैक्टर की जानकारी इसके अंतर्गत दी जायेगी। वन संरक्षकों द्वारा अपने वृत्त के लिये फार्म फेक्टर्स निर्धारित किये जाते हैं। अतः वन संरक्षक कार्यालय से उक्त प्रचलित फार्म फैक्टर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

6.8.5.6 संवृद्धि दर

प्रबंधन योजना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र जिस वन मंडल में है, उसकी कार्य आयोजना में दर्शाये गये विभिन्न प्रजातियों की वृद्धि दरों के आँकड़े दिये जाना है।

6.8.5.7 विपणन की रूपरेखा

प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वनोपज का विपणन करने की क्या संभावनाये है, तथा उत्पादकों को बाजार के रूप में किस प्रकार के विकल्प उपलब्ध है, इसका विवरण अंकित किया जायेगा। वर्तमान में उक्त वनोपज का व्यापार किस प्रकार किया जा रहा है इसकी जानकारी भी एकत्रित की जायेगी।

6.8.5.8 बाजार मूल्य

क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वनोपज की यदि ग्राम या आसपास के क्षेत्र में निर्वर्तन होने की संभावनायें हैं, तो उन बाजारों में विभिन्न वनोपजों की प्रचलित बाजार दरों की जानकारी अंकित की जायेगी। यदि वनोपज का निर्वर्तन स्थानीय तौर पर न होकर बाहर की मंडियों में किया जाना है, तो उक्त मंडियों के बाजार भाव ज्ञात किये जायें। राष्ट्रीयकृत वनोपजों के संदर्भ में बाजार मूल्यों की जानकारी वन मंडल/वन वृत्त कार्यालय से स्वीकृत अवरोध दर के आधार पर दी जायेगी।

6.9 भाग – 2 : प्रस्तावों का सारांश

6.9.1 भविष्य के प्रबंधन हेतु स्कीम

इस अध्याय में भावी प्रबन्धन की योजना निम्न खण्डों में दी जायेगी :–

6.9.1.1 प्रबंधन प्रस्ताव

तैयार की गई प्रबंधन योजना के इस भाग के अंतर्गत भविष्य में योजना क्षेत्र के प्रबंधन तथा सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों का विवरण, विभिन्न उपचारों का सारांश एवं विदोहन के नियंत्रण का उल्लेख किया जाना होगा। उपलब्ध वन उपज एवं पुनरुत्पादन को देखते हुए कार्यवृत्तों का भी गठन किया जा सकता है।

6.9.1.2 उपचार विधान

इसके अंतर्गत योजना क्षेत्र में प्रस्तावित उपचारों का विस्तृत रूप से विवरण दिया जायेगा। प्रबन्धन के दौरान किये जाने वाले कार्यो के साथ–साथ जिन कार्यो का निषेध है, उनका भी स्पष्ट उल्लेख होगा । यदि योजना में विभिन्न कार्य वृत प्रस्तावित किये गये हों, तो प्रत्येक कार्य वृत के लिये पृथक–पृथक उपचार दर्शाये जायेगे।

6.9.1.3 पातन चक्र/रोटेशन

कार्यवृत्त के अनुसार पातन चक्र या आवर्तन अवधि का निर्धारण किया जायेगा। क्षेत्र में वृद्धि दर के आंकड़े, अवधि निर्धारण में उपयोगी होंगे। आवेदक की आवश्यकता व प्रबन्धन साधनों की उपलब्धता एवं कुल योजना क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर पातन चक्र का निर्धारण किया जायेगा, तथा प्रजाति की वन वर्धनिक आवश्यकता को देखते हुए रोटेशन का निर्धारण होगा।

6.9.1.4 प्रवरण गोलाई (सिलेकशन गर्थ)

वृद्धि दर के आंकड़े, बाजार की मांग एवं अन्य उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रजातिवार परिपक्वता गोलाई/प्रवरण गोलाई का निर्धारण किया जायेगा।

6.9.1.5 उपचार वर्ग की अवधारण एवं उपचार मानचित्र

उपलब्ध वनोपज एवं पुनरूत्पादन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न उपचार वर्गों का निर्धारण किया जायेगा। इन वर्गो को उपचार मानचित्र में अलग–अलग रंगों से दर्शाते हुए प्रत्येक वर्ग हेतु उपचार पद्धति का उल्लेख किया जायेगा।

6.9.1.6 पातन नियम/अन्य उपचारों के लिए नियम

उपचार वर्गवार प्राकृतिक रूप से उग रहे एवं रोपित वृक्षों तथा बॉस भिरों के लिए पृथक–पृथक पातन नियमों एवं अन्य उपचार विधियों जैसे सफाई, विरलन, भू एवं जल संरक्षण इत्यादि का उल्लेख किया जायेगा। गैर–काष्ठीय वन उपज जैसे औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विनाशविहीन विदोहन की विधियों का भी वर्णन किया जायेगा।

मध्यप्रदेश वृक्षों की कटाई प्रतिषेध या विनियमन नियम, 2002 (परिशिष्ट–4 संलग्न) के अनुसार होगा। निम्नलिखित श्रेणी के वृक्षों के विदोहन का प्रावधान नहीं हैः–

यदि कोई वृक्ष :–

(क) किसी जलधारा, झरने या तालाब के किनारे के अंतिम कगार से 30 मीटर के अंदर है।

(ख) किसी सड़क या बैलगाड़ी के रास्ते के मध्य से 15 मीटर के भीतर या किसी पगडंडी के 6 मीटर के अंदर है।

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की परिधि के या किसी उपवन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थित है।

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम अथवा उसके समान किसी अन्य योजना के अधीन वृक्ष प्रजातियों के वृक्षारोपण के अंतर्गत सीमा क्षेत्र में स्थित है।

(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान या श्मशान स्थल, गोठान, खलिहान, बाजार या आबादी के लिए पृथक रखे गए किसी क्षेत्र में स्थित है।

(च) पहाड़ी तथा 25 डिग्री से अधिक ढलान वाले ऊंचे.नीचे क्षेत्र में स्थित है तो ऐसा वृक्ष न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा और न ही उसे अन्यथा नुकसान पहुंचाया जाएगा।

6.9.1.7 वार्षिक प्राप्ति की गणना

योजना क्षेत्र में काष्ट, जलाऊ एवं बांस की अनुमानित प्राप्ति की गणना पूर्व में वन विभाग में प्रचलित पद्धति के अनुसार की जाती थी । इसके अतिरिक्त घास, औषधीय पौधों से प्राप्त उत्पादों तथा अन्य अकाष्ठ वन उत्पादों की अनुमानित प्राप्तियों की गणना भी संसाधन सर्वेक्षण एवं पुनरुत्पादन सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों तथा अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर की जायेगी।

परंतु वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक 4690 दिनांक 26–12–05, जो मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भारत सरकार के कार्यालय को संबोधित है, में वानमेंटल फार्मूला लागू होने से योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना दर्शाते हुए मध्यप्रदेश राज्य में लोक वानिकी योजना के अंतर्गत तैयार कराई जा रही प्रबंधन योजनाओं में इस फार्मूले के

अनुसार पातन योजनाएं तैयार किया जाना उचित नही होने बाबत उल्लेख है। उक्त पत्र में निहित निर्णयानुसार लोक वानिकी प्रबंधन योजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही करने हेतु कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी, म0प्र0 मुख्यालय से जारी पत्र क्रमांक 101 दिनांक 09–01–06 द्वारा समस्त वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारी (क्षेत्राीय) को अवगत कराया गया है । वर्तमान में वानमेंटल फार्मूला के आधार पर लोकवानिकी प्रबंध योजनाओं की यील्ड को विनयमित किया जा रहा है, और उसे आधा नहीं किया जा रहा है । यह महत्वपूर्ण विषय वर्तमान में म0प्र0 शासन तथा भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मध्य विचाराधीन है । भविष्य की प्रबंध योजनाएं इस निर्णय के अधीन विनियमित की जावेंगी।

6.9.2 कटाई

6.9.2.1 कटाई योजना

संसाधन सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न वनोपजों के वर्धमान संनिधि (ग्रोविंग स्टाक) के आंकलन, प्रजाति की वन वर्धनिक आवश्यकता, वृद्धि दर एवं बाजार भाव के अनुसार निर्धारित सिलेक्शन गर्थ व रोटेशन एवं प्रबन्धन संसाधनों एवं आवेदक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पातन चक्र का निर्धारण किया जायेगा। इसी के अनुसार इमारती काष्ठ, ईधन की लकडी, बांस, औषधीय पौधे, घास, लधुवनोपज एवं अन्य वनोपज की पृथक.पृथक कटाई योजना बनाई जायेगी।

6.9.2.2 वनोपज का अनुकूलन, प्रसंस्करण तथा परिरक्षण

वनोपज का बाजार में उचित मूल्य प्राप्त होने की संभावना तभी बनती है, जब उसका सही ढंग से अनुकूलन, प्रसंस्करण तथा परिरक्षण किया जाये। अतः यह अनिवार्य होगा कि वानिकी विद उपरोक्त विषय की अद्यतन जानकारी उपलब्ध साहित्य का अनुशीलन कर एवं शोध संसाधनों से प्राप्त कर, तदनुसार क्षेत्र में पायी जाने वाली वनोपजों के अनुकूलन, प्रसंस्करण एवं परिरक्षण के प्रावधान प्रबन्ध योजना में समावेश करें।

6.9.2.3 वनोपज के निर्वर्तन की प्रस्तावित पद्धति

क. इमारती काष्ठ
ख. ईधन की लकड़ी
ग. बांस
घ. घास
ड़. औषधीय पौधे
च. लघु वनोपज
छ. अन्य

योजना के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वनोपजों के निर्वर्तन की योजना उपलब्ध बाजार एवं समयावधि को ध्यान में रखते हुए बनाई जायेगी ताकि आवेदक को निवर्तन से अधिकतम शुद्ध मूल्य आवश्यकतानुसार एवं सही समय पर प्राप्त हो सके। राष्ट्रीयकृत वनोपज का विपणन वन विभाग को ही किया जायेगा।

6.9.2.4 सहायक वन वर्धन संक्रियाएं

मुख्य कटाई के पश्चात् सफाई, एकलीकरण, बांस भिर्रों में मिट्टी चढ़ाई, बेला कटाई या अन्य उपचार, क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार प्रस्तावित किये जायेंगे।

6.9.2.5 विरलन

सस्य की वन वर्धनिक आवश्यकताओं को देखते हुए विरलन की तीव्रता एवं आवृत्ति का निर्धारण किया जायेगा। इसके लिये प्रचलित प्राप्ति सारणियों (यील्ड टेबिल्स) की सहायता ली जाये।

6.9.2.6 काट–छांट

निम्न वितान में उगने वाली प्रजातियों की वृद्धि एवं सभी वांछित प्रजातियों के पुनरुत्पादन के लिए प्रकाश की आवश्यकता अथवा प्रजाति के किसी भाग की बाजार मांग के आधार पर निश्चित अंतराल में शाखा छंटाई की आवश्यकता हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शाखा कटाई व वितांन छंटाई का प्रावधान किया जाये।

6.9.2.7 मृत वृक्षों एवं आंधी से उखड़े वृक्षों की कटाई

कटाई के नियमों में यह प्रावधान किया जाये कि कटाई हेतु वृक्षों का चिन्हांकन करते समय कटाई के लिये निर्धारित यील्ड प्राप्ति सीमा के अंदर पहले मृत एवं जड़ विघटन तथा भूमि क्षरण के कारण उखड़े वृक्षों को प्राथमिकता दी जाये।

6.9.3 रोपण

योजना क्षेत्र में रोपण की आवश्यकता होने पर ही रोपण का प्रावधान किया जायेगा। (इसकी आवश्यकता प्राकृतिक पुनरुत्पादन की अपर्याप्तता, प्राकृतिक रूप से उगने वाली प्रजातियों की धीमी वृद्धि दर या कम बाजार मूल्य/उपयोगिता की स्थिति में हो सकती है।) रोपण की सफलता के लिए उपयुक्त प्रजाति का चयन वहां की भूमि एवं जलवायु के आधार पर किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । रोपित की जाने वाली प्रजातियों का सही रोपण अंतराल, गड्ढे का आकार, निदाई, गुडाई एवं सिंचाई की सम्पूर्ण तकनीकी जानकारी किसी प्रमाणिक शोध संस्थान से प्राप्त कर उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। रोपण हेतु उच्च गुणवत्ता वाले बीज/पौध सामग्री की तैयारी अथवा क्रय का विशेष प्रावधान रखा जायेगा क्योकि इसी के आधार पर आवेदक को निरंतर अधिकतम शुद्ध आय की प्राप्ति होगी। विभिन्न प्रकार के रोपण की जानकारी प्रजातिवार (सागौन रोपण, बांस रोपण, अन्य प्रजाति का रोपण) दी जायेगी।

6.9.4 सुरक्षा एवं सुधार के उपाय

6.9.4.1 चराई से सुरक्षा

6.9.4.2 अग्नि सुरक्षा

6.9.4.3 अन्य

योजना क्षेत्र में जैविक दबाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की सस्ती किन्तु प्रभावी सुरक्षा का प्रावधान किया जायेगा। रोग एवं कीट प्रकोपों हेतु शोध संस्थानों से सम्पर्क कर रोकथाम एवं निदान के सस्ते एवं प्रभावी उपाय बताये जायेंगे। जैविक एवं रासायनिक दोनो प्रकार के कीट/रोग नाशकों का संतुलित प्रयोग करते हुए सस्ते एवं उपयोगी समन्वित पेस्ट प्रबन्धन (इंटीग्रेटेड पेस्ट मेनेजमेंट) को बढ़ावा दिया जायेगा।

6.9.4.4 जैव विविधता संरक्षण

क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान यदि कोई वन्य प्राणी या वनस्पति प्रजाति दुर्लभ श्रेणी के अंतर्गत आती है तो उनके प्रबन्धन एवं संरक्षण के लिए किये जाने वाले उपायों का प्रबन्धन

योजना में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जैव विविधता बनाये रखने के लिए एकल प्रजाति वृक्षारोपण को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। सतही प्रजातियों के प्रबन्धन पर योजना में विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए जिससे कि क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षित हो सके। प्रबन्धन योजना में सतही एवं वृक्ष प्रजातियों की सतत् दोहन प्रणाली का उल्लेख आवश्यक है, जिससे कि आवेदक को निरन्तर लाभ प्राप्त होता रहे एवं उसकी रुचि क्षेत्र की जैवविविधता को संरक्षित करने में बनी रहे। प्रबन्धन योजना में क्षेत्र की सीमा पर बायो / वेजिटेटिव्ह फेंसिंग लगाने की तकनीक का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। सतही स्तर पर विभिन्न औषधीय प्रजातियों के रोपण की तकनीक का भी उल्लेख प्रबन्धन योजना में आवश्यक है।

6.9.5 अनुमानित औसत वार्षिक व्यय एवं आय

प्रबन्धन योजना में प्रतिवर्ष विभिन्न प्रजातियों के रोपण, सिंचाई, खाद, सुरक्षा एवं अन्य कार्यों पर होने वाले प्रस्तावित व्यय का पूर्ण विवरण दिया जाना अति आवश्यक है। साथ ही इन वनोपजों के विदोहन से कितना उत्पादन होगा एवं उसका बाजार मूल्य क्या होगा, इसका विवरण देना भी आवश्यक है जिससे आवेदक को संभावित आय प्राप्ति की जानकारी हो सके।

6.9.6 चिन्हांकन एवं पातन रजिस्टरों का प्ररूप (फार्मेट)

वन विभाग में प्रचलित चिन्हांकन एवं पातन रजिस्टरों के प्ररूप मामूली संशोधन उपरांत लोक वानिकी के अन्तर्गत होने वाली वृक्षों की कटाई हेतु भी अंगीकार किए जा सकते हैं। प्रबन्धन योजना में निर्दिष्ट प्ररूपों की प्रतियाँ लगाई जानी आवश्यक है।

6.9.7 प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन की मानीटरिंग एवं मूल्यांकन

लोक वानिकी नियम, 2002 के नियम 7 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिक्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति, जिसमें एक गैर सरकारी व्यक्ति/संगठन, राजस्व विभाग, पंचायत, ग्राम सभा के प्रतिनिधि शामिल होंगे, द्वारा अनुमोदित प्रबन्धन योजनाओं की मानीटरिंग एवं मूल्यांकन किया जावेगा। प्रबन्धन योजना के उद्देश्यों, भविष्य के प्रबन्धन के प्रस्तावों के क्रियान्वयन, संभावित प्राप्तियों इत्यादि के अनुरूप इस भाग में मानीटरिंग व मूल्यांकन के बिन्दुओं का निर्धारण किया जाना आवश्यक है, जिसके अनुसार निगरानी समिति मानीटरिंग/मूल्यांकन का कार्य करेगी। मानीटरिंग व मूल्यांकन हेतु आवश्यक प्ररूप भी निर्धारित किये जायें।

6.9.8 योजना क्षेत्र के शासकीय वन से लगे होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुझाए गए रक्षोपाय

आवेदक की भूमि किसी भी सीमा पर शासकीय वन से लगे होने की स्थिति में प्रबन्धन योजना में इस तथ्य का तथा अपनाये जाने वाले समुचित रक्षा उपायों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए, जिससे कि योजना के क्रियान्वयन के समय सक्षम अधिकारी द्वारा शासकीय वनों की सुरक्षा के लिये इनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सकें।

6.10 प्रबंधन योजना के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख

- खसरे का पटवारी नक्शा, जिसमें लगे हुए सर्वे क्रमांक भी दर्शाये गये हो।
- भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेख
- सीमांकन प्रमाण पत्र, यदि अपेक्षित हो
- स्टाक मानचित्र

➢ भूमिस्वामी की लिखित सहमति (सयुक्त खाते की दशा में समस्त भागीदारों का सहमति पत्र) सर्वे के परिणाम/निर्धारण रिपोर्ट, यदि कोई हो।

6.11 प्रबन्धन योजना तैयार हो जाने के पश्चात् वानिकी विद प्रबन्धन योजना की 5 प्रतियां, निजी वन में मौजूद संपदा के आंकलन प्रमाण–पत्र सहित भूमिस्वामी को प्ररूप 1 में देगा। प्रबंध योजना तैयार करने वाला वानिकी प्रबंधन योजना के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करेगा । भूमिस्वामी उपरोक्त दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ वन मण्डलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

<u>अध्याय – 7</u>

प्रबंधन योजना की स्वीकृति

(कृपया अधिनियम की धारा 4 तथा नियम 5 भी देखें)

7.1 आवेदन प्रक्रिया

तैयार की गई प्रबन्धन योजना की स्वीकृति हेतु आवेदन वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) को करना होगा । निजी क्षेत्रों के लिए तैयार की गई प्रबन्धन योजना की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्ररूप–1 में तथा लोक वन के रूप में प्रबन्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित राजस्व क्षेत्रों के लिए तैयार की गई प्रबन्धन योजना की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्ररूप – 2 में प्रस्तुत किए जायेंगे । आवेदन पत्र 3 प्रतियों में प्रबंधन योजना की 5 प्रतियों के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे । लोक वन की प्रबन्धन योजना की मंजूरी के मामलों में आवेदन पत्र ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के संकल्प की प्रति के साथ प्रस्तुत करने होंगे । आवेदन पत्र की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करते समय कार्यालय की मुद्रा तथा प्राप्ति की तारीख अंकित करने के पश्चात् आवेदक को वापस कर दी जायेगी ।

7.2 प्रबन्धन योजना की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी

म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 20/07/05 द्वारा लोक वानिकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए ''चक'' की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है । जिनके अनुसार चक का अर्थ होगा ''किसी भी भूमिस्वामी का वह भूखण्ड जो कि एक या एकाधिक खसरा से मिलकर बना हो'' । इस पत्र के अनुसार भूमिस्वामी के निजी भूमि, एक या एकाधिक खसरा से मिलकर बना चक, 10 हे0 तक होने की स्थिति में उनकी प्रबंधन योजना की स्वीकृति हेतु संबंधित वनमंडलाधिकारी ही सक्षम है। इस प्रकार की प्रबंधन योजना के प्रस्तावों का अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त किया जाना आवश्यक नही है। प्रबंधन योजना का रकबा 10 हे0 से अधिक होने की स्थिति में प्रबंधन योजना का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।

अतः उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रबन्धन योजना की मंजूरी वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा दी जायेगी परन्तु यदि योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से अधिक है तो पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7.3 प्रबन्धन योजना का परीक्षण

प्रस्तुत आवेदन तथा प्रबन्धन योजना का परीक्षण वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय द्वारा किया जायेगा। वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय सर्व प्रथम कंडिका 7.4 में दी गई चैक लिस्ट के अनुसार अभिलेखों का मिलान करेगा । वह प्रबन्धन योजना में किये गये किन्ही विधानों की विधिमान्यता को सत्यापित करने के लिए स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से योजना क्षेत्र का निरीक्षण भी करा सकेगा।

7.4 प्रबंधन योजना की मंजूरी हेतु सक्षम अधिकारी के लिये जांच सूची

1. प्रबंधन योजना के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख से संबंधित संलग्न प्रमाण पत्र भूमि. स्वामी की लिखित सहमति (संयुक्त खाते की स्थित में समस्त भागीदारों की सहमति) अथवा ग्राम सभा/ग्राम प्रचायत का घोषणा पत्र ।
    - खसरे का नक्शा, जिसमें लगे हुए सर्वे क्रमांक भी दर्शाये गये हो।
    - भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेख, पंचसाला खसरा (पी–2) की प्रमाणित नकल ।
    - सर्वे के परिणाम/निर्धारण रिर्पोट
    - सीमांकन प्रमाण पत्र
    - स्टाक मानचित्र
    - क्षेत्र का लोकेशन नक्शा

2. वन क्षेत्र से सटे/लगे रहने की स्थिति में परिक्षेत्र अधिकारी का सीमाकंन प्रमाण पत्र एवं शासकीय वनों की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित सुझाव
3. क्षेत्र के विगत 10 वर्षों के स्वामित्व का पटवारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र
4. ट्रीटमेंट मेप
5. वृक्ष प्रजातियों की प्रजातिवार एवं गोलाईवार गणना, रोपण वर्ष सहित (यदि ज्ञात हो)
6. प्रजातिवार, गोलाईवार संख्या एवं आयतन की गणना (भूमिस्वामी द्वारा सत्यापित)
7. गणना में प्रथम वर्ष की कार्ययोजना में काटे जाने वाले वृक्षों की प्रजातिवार संख्या एवं काष्ठ का आयतन
8. लघु वन उपज के विदोहन की व्यवस्था एवं सतत् प्रबंधन की योजना
9. रिक्त क्षेत्र में रोपण योजना (यदि रोपण प्रस्तावित हो, तो)
10. क्षेत्र के अनुसार रोपण हेतु उपयुक्त प्रजातियों की सूची
11. रोपण योजना, रखरखाव सहित
12. क्षेत्र की अग्नि से सुरक्षा की योजना
13. क्षेत्र की चराई से सुरक्षा की व्यवस्था
14. प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन में होने वाला अनुमानित व्यय एवं प्राप्त होने वाली आय
15. अनुश्रवण एवं मूल्यॉकन के मापदंड
16. चिन्हाकंन नियम

7.5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण उपरान्त की जाने वाली कार्रवाई

7.5.1. प्रबन्धन योजना के परीक्षण के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी स्वयं की इस बात के लिये संतुष्टि कर लेता है कि प्रबन्धन योजना वानिकी के मान्य सिद्धांतों, केन्द्र व राज्य शासन की नीतियों तथा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है, तो :–

(क) यदि योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर तक है, तो वह योजना की मंजूरी का आदेश विहित प्ररूप में (निजी क्षेत्र की प्रबन्धन योजना हेतु प्ररूप – 3 तथा लोक वन के लिए प्ररूप – 4) जारी करेगा। मंजूरी आदेश के साथ प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन की शर्तें अनुसूची दो/तीन में विहित प्ररूप में विनिर्दिष्ट की जायेगी। मंजूर की गई योजना की एक प्रति मंजूरी आदेश के साथ आवेदक को भेजी जायेगी। मंजूरी आदेश की प्रति, स्वीकृत प्रबन्धन योजना की एक प्रति तथा आवेदन पत्र की एक प्रति सहित उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) को भी सूचनार्थ तथा भू–राजस्व संहिता की धारा 114–क की उप धारा (2) के अधीन भू–अभिलेख में सुसंगत प्रविष्टि हेतु पृष्ठांकित की जायेगी।

(ख) यदि योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से अधिक है, तो वह अपने अभिमत के साथ उचित माध्यम **वन संरक्षक** से **राज्य स्तर पर भार साधक अधिकारी, लोक वानिकी** के द्वारा **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार** को अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा।

7.5.2 यदि सक्षम अधिकारी को यह लगता है कि प्रबन्धन योजना में सुधार के लिए उसमें कतिपय संशोधन किये जाने आवश्यक हैं, तो वह ऐसे संशोधन/सुझावों के साथ प्रस्तावित प्रबन्धन योजना आवेदक को वापस करेगा। तब सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये संशोधन सुझावों को समाविष्ट करते हुए पुनरीक्षित प्रबन्धन योजना प्रस्तुत की जायेगी।

7.5.3. यदि सक्षम अधिकारी किसी कारणवश प्रस्तावित प्रबंधन योजना को मंजूरी के योग्य नही पाता है, तो वह उस प्रबन्धन योजना को मंजूरी देने से इन्कार कर सकेगा परन्तु तत्संबंधी आदेश में इन्कार के स्पष्ट कारण अभिलिखित करेगा तथा ऐसा आदेश आवेदक को संसूचित किया जायेगा।

7.6 अपील

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबन्धन योजना को नामंजूर किये जाने पर नामंजूरी आदेश के विरुद्ध अपील संबंधित वन संरक्षक (क्षेत्रीय) को की जाती है, तब ऐसी स्थिति में वन संरक्षक, आवेदक भूमि स्वामी / ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा के प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुनने के पश्चात् अपील पर अपना निर्णय देगा जो कि अंतिम तथा बंधनकारी होगा। निर्णय की संसूचना आवेदक को लिखित में दी जायेगी तथा इसकी एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जायेगी।

7.7 समय सीमायें

7.7.1 10 हेक्टेयर तक क्षेत्रफल के योजना क्षेत्रों के प्रकरणों में

1 प्रस्तावित प्रबन्धन योजना की मंजूरी के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय	–	आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना की मंजूरी से इन्कार करने पर तत्संबंधी आदेश के विरुद्ध वन संरक्षक को अपील	–	आदेश प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर
3. वन संरक्षक द्वारा अपील पर निर्णय	–	अपील आवेदन प्राप्ति के 60 के अन्दर

7.7.2 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के योजना क्षेत्रों के प्रकरणों में

1. प्रस्तावित प्रबन्धन योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने मत के साथ वन संरक्षक (क्षेत्रीय) को अग्रेषित करना।	–	आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर
2. वन संरक्षक (क्षेत्रीय) द्वारा प्रस्तावित योजना को राज्य स्तर पर भार साधक अधिकारी, लोक वानिकी को अग्रेषित करना।	–	सक्षम प्राधिकारी से योजना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर
3. राज्य स्तर पर भार साधक अधिकारी, लोक वानिकी द्वारा प्रस्तावित योजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजेना	–	वन संरक्षक (क्षेत्रीय) से योजना प्राप्ति के तीन सप्ताह के अन्दर
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से प्रबन्ध योजना के अनुमोदन प्राप्ति उपरांत सक्षम प्राधिकारी, (वन मण्डलाधिकारी) द्वारा प्रबन्धन योजना की मंजूरी का आदेश जारी करना	–	अनुमोदन की संसूचना प्राप्ति के 7 दिन के अन्दर

<u>अध्याय – 8</u>

प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन

(कृपया अधिनियम की धारा 5 तथा नियम 6 भी देखें)

8.1 प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व

सक्षम प्राधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) से निजी वन/लोक वन की स्वीकृत प्रबन्धन योजना प्राप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित भूमि स्वामी/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके पूर्ण क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। यदि आवश्यक हो, तो योजना के क्रियान्वयन में किसी विशेषज्ञ की सहायता या तकनीकी मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु स्वीकृत योजना के सुचारू क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित भूमि स्वामी/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का ही होगा। प्रबन्धन योजना में विहित समस्त संक्रियायें (जिनमें क्षेत्र की चराई/अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था, कीटों या रोगों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु आवश्यक रक्षोपाय, मिट्टी की उत्पादकता बनाये रखने सम्बन्धी उपाय, मृदा एवं जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, वृक्षारोपण, रोपणों के रखरखाव इत्यादि सम्मिलित हैं) विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार पूर्ण करनी होंगी। यदि किन्हीं अकल्पित कारणों से कोई विहित संक्रिया समय पर सम्पादित नहीं हो पाती है, तो योजना का आगामी क्रियान्वयन ऐसे समय तक, जब तक कि पूर्व वर्ष के लिये विहित संक्रियायें पूर्ण नहीं हो जातीं, सक्षम प्राधिकारी (वन मण्डलाधिकारी), द्वारा निलंबित कर दिया जायेगा।

8.2 लोक वन प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सार्वजनिक सम्पदा समिति को प्राधिकृत करने की शक्ति

ग्राम पंचायत या ग्राम सभा लोक वन की प्रबन्धन योजना में किए गए विधानों के क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा की सार्वजनिक सम्पदा समिति को प्राधिकृत कर सकेगी।

8.3 प्रबन्धन योजना के प्रावधानों के अनुसार वृक्षों की कटाई

8.3.1 भूमिस्वामी/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा संबंधित वन क्षेत्रपाल तथा तहसीलदार को योजना क्षेत्र में वृक्षों को काटकर गिराने की प्रस्तावित तारीख की सूचना देगी। यह लिखित सूचना वृक्षों को काटकर गिराए जाने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 7 दिनों पूर्व दी जायेगी।

8.3.2 प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन करने वाला व्यक्ति, काटकर गिराए जाने वाले वृक्षों का विवरण रजिस्टर में प्रबंधन योजना में यथादर्शित प्ररूप में रखेगा।

8.3.3 प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन करने वाला व्यक्ति, वृक्ष गिराने की प्रस्तावित तारीख संबंधी सूचना उपरोक्त कंडिका 8.3.1 के अनुसार देने के एक सप्ताह पश्चात् चिन्हाकिंत वृक्षों की कटाई कर सकेगा। काटे गये काष्ठ के टुकड़ों का अभिलेखन प्रबंधन योजना में दर्शित पातन रजिस्टर में रखेगा।

8.3.4 यदि भूमि स्वामी म.प्र. आदिम जन जातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 की धारा–2(क) में दी गयी आदिम जन जाति की परिभाषा के अंतर्गत, आदिम जन जाति का हो तो उस स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा–2(ङ) की अनुसूची में दर्शाये विनिर्दिष्ट वृक्ष प्रजातियों के वृक्षों की कटाई के पूर्व उक्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत म.प्र. आदिम जन जातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम 2000, में दिये गये प्रावधानों व प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8.4 योजना क्षेत्र से लगे शासकीय वनों की अवैध कटाई से सुरक्षा

जहाँ स्वीकृत प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत शासकीय वन (वन विभाग/राजस्व विभाग के अधीन) से लगे हुए निजी वन/लोक वन में वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा दी गई है, वहाँ सक्षम प्राधिकारी (वन मण्डलाधिकारी/उपखण्ड अधिकारी राजस्व) शासकीय वनों की अवैध कटाई से सुरक्षा हेतु आवश्यक रक्षोपाय सुनिश्चित करेगा।

8.5 पातन उपरान्त बुगाई (लॉगिंग)

8.4.1 योजना क्षेत्र के विदोहन से प्राप्त विनिर्दिष्ट प्रजातियों {म0प्र0 वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 के अन्तर्गत} की समस्त काष्ठ तथा अविनिर्दिष्ट प्रजातियों की वह काष्ठ जो भूमि स्वामी वन विभाग को विक्रय करना चाहता है, वन विभाग द्वारा क्रय की जावेगी।

8.4.2 वृक्षों की कटाई हो जाने पर वन विभाग द्वारा क्रय की जाने वाली काष्ठ में बुगाई (लागिंग) हेतु निशान उप वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) अथवा उसके द्वारा नियत वनाधिकारी द्वारा दिये जायेगे। तदनुसार आवेदक उन काटे गये वृक्षों की बुगाई (लागिंग) करायेगा। अन्य वृक्षों की बुगाई आवेदक अपनी आवश्यकता और बाजार के अनुसार करा सकेगा।

8.4.3 कटाई/बुगाई पूरी होने पर संबंधित उप वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) या उसके द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा काटे गए वृक्षों के समस्त काष्ठ का लट्ठावार विवरण दर्शाते हुए उसकी सूची, चार प्रतियों में तैयार कराई जावेगी। आवेदक भी इस सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा या अंगूठा निशान लगायेगा। इस सूची की एक प्रति आवेदक को दी जायेगी; दूसरी प्रति कार्टिंग चालान के साथ डिपो में भेजी जावेगी तथा तीसरी प्रति उप वन मंडल कार्यालय (क्षेत्रीय) के अभिलेख में रखी जावेगी। लकड़ी का परिदान लेने की सूचना तथा काष्ठ विवरण एवं सूची की चौथी प्रति वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) को भेजी जावेगी।

8.4.4 आवेदक से क्रय की जाने वाली काष्ठ को मौके पर पासिंग कर, उप वन मंडलाधिकारी, (क्षेत्रीय), पासिंग हेमर {उप वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को आवंटित} का निशान प्रत्येक नग के दोनों ओर लगायेंगे। पासिंग पूर्ण होने पर पासिंग हेमर का निशान उपरोक्त चारों सूचियों पर (कार्बन द्वारा) अंकित किया जावेगा। पांसिग हेमर लगाने का शुल्क शासन द्वारा निर्धारित दरों पर आवेदक द्वारा देय होगा।

8.6 विदोहन से प्राप्त वनोपज का परिवहन

आवेदक से विभाग द्वारा क्रय की गई काष्ठ को शासकीय काष्ठागार तक परिवहन, आवेदक द्वारा किया जायेगा। जहां आवेदक वन मण्डलाधिकारी/उप मंडलाधिकारी को यह लिखित सूचना देता है कि वह स्वयं काष्ठ का परिवहन नहीं कर सकता है, वहां उसका परिवहन वन विभाग द्वारा कराया जावेगा। विभाग द्वारा परिवहन किये जाने की स्थिति में परिवहन व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। निर्धारित व्यापारिक डिपो में प्राप्त काष्ठ की लिखित सूचना तथा विवरण वनाधिकारी आवेदक को तुरंत देंगे। कार्टिंग चालान पर आवेदक के खाते की काष्ठ का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा।

8.7 वनोपज परिवहन नियम

अनुमोदित प्रबंधन योजना के अनुसार वृक्ष काटकर गिराने की प्रक्रिया से प्राप्त वन उपज का परिवहन, मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 एवं यथा–संशोधित नियम 2001 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा। उक्त नियम परिशिष्ट में संलग्न हैं । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को यहाँ उद्घृत किया जा रहा है।

(क) इनके अनुसार निम्नलिखित प्रजातियों के काष्ठ तथा ईधन के परिवहन के लिए अभिवहन पास (टी0पी0) की आवश्यकता नहीं होगी।

(1)	नीलगिरि	–	यूकेलिप्टस प्रजातियां
(2)	केजूराईना	–	केजूराईना इक्वेजेटिफोलिया
(3)	सूबबूल	–	ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेंला
(4)	पापुलर	–	पापुलस प्रजातियां
(5)	इजरायली बबूल	–	एकेशिया टॉरटिलिस
(6)	विलायती बबूल	–	प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा
(7)	कटंग बॉस	–	बेम्बूसा आरुंडिनेसिया

(ख) निजी स्वामित्व की भूमि में पाये गये निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों से प्राप्त काष्ठ तथा ईधन के परिवहन के लिये टी0 पी0, इस प्रयोजन के लिये सम्यक् रूप से गठित ''पंचायत स्तर समिति'' की सिफारिश के अनुसार पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा :–

(1)	बबूल	–	एकेशिया निलोटिका
(2)	सिरिस	–	अल्बीजिया प्रजातियां
(3)	नीम	–	अजेडिरेक्टा इंडिका
(4)	बेर	–	जिजिफस प्रजातियां
(5)	पलास	–	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
(6)	जामुन	–	साइजेजियम कुमिनाई
(7)	रिउझा	–	एकेशिया ल्यूकोफ्लोइया

(8) बांस (कटंग बॉस से भिन्न) खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया और सीधी जिलों को छोड़ कर।

(ग). उपरोक्त कंडिका (क) एवं (ख) में उल्लिखित से भिन्न समस्त प्रजातियों के काष्ठ/ईधन के लिये टी0 पी0, पंचायत स्तर समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् एवं सरकारी स्वामित्व के वनों (लोक वन सहित) से प्राप्त वनोपज के परिवहन हेतु टी.पी. वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा जारी किया जाएगा।

(घ) जिले के अन्दर वनोपज का परिवहन करने के लिए ग्राम पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति टी0 पी0 जारी करेगा। जिले से बाहर वनोपज का परिवहन करने के लिये टी0 पी0, वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी जारी करेंगें।

(ङ) टी0 पी0 जारी करने के लिये फीस की दरें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी द्वारा नियत की जायेंगी जिसका भुगतान आवेदक द्वारा किया जावेंगा।

8.8 विभाग द्वारा क्रय की गयी वनोपज के मूल्य की गणना एवं भुगतान

काष्ठ डिपो में जैसे ही योजना क्षेत्र से काष्ठ प्राप्त होती है, डिपो के प्रभारी उप वन मंडलाधिकारी (उत्पादन) काष्ठ की ग्रेडिंग करेंगे तथा उसके आधार पर वन संरक्षक द्वारा निर्धारित दरों पर काष्ठ के नगवार मूल्य की गणना कर कुल क्रय मूल्य का आंकलन करेंगे। डिपो में की गई अंतिम

ग्रेडिंग के अनुसार प्रमाणित गोशवारा एवं क्रय मूल्य का विवरण पत्रक कार्टिंग चालान की प्रति में लगायेंगे। डिपो में पासिंग के उपरांत प्रकरण गणना पत्रक आदि के साथ डिपो प्रभारी संबंधित वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) को भेजेगे। तदनुसार वन मण्डलाधिकारी द्वारा आवेदक को भुगतान किया जायेगा। भूमि स्वामी के आदिवासी होने की स्थिति में वनोपज का भुगतान वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) के द्वारा म0प्र0 आदिम जन जातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम – 2000, को ध्यान में रखते हुए, भूमि स्वामी एवं जिलाध्यक्ष के संयुक्त नाम से रेखांकित धनादेश के माध्यम से किया जावेंगा।

8.9 समय सीमा

आवेदक के द्वारा वृक्षों की कटाई करा लेने के उपरान्त समस्त विभागीय कार्य दो माह की समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जाना चाहिए अर्थात् लॉगिग मार्क लगने से लेकर डिपो में परिदान तक की कार्रवाई दो माह के अंदर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आवेदक को उसकी लकड़ी का डिपो में परिदान लेने की तिथि से 45 दिवस के अन्दर भुगतान हो जाना चाहिए।

वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पृ. क्रमांक/एफ–4267/259/05/10–3 दिनांक 5 नवम्बर 2005 के अनुसार भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही की राष्ट्रीयकृत वनोपज काष्ठ, वन विभाग को विक्रय करने के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू की गई हैं:–

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है यदि भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही चाहे तो वे वन विभाग के डिपों में अपनी काष्ठ की पृथक से लॉट बनवाकर विक्रय कर सकते हैं। लेकिन पृथक से लॉट लगाकर बेचने की स्थिति में शासन द्वारा निर्धारित दरों पर विभाग को काष्ठ बेचने की पात्रता होगी। ***इस हेतु भूमिस्वामी/लोक हितग्राही को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।*** अलग से लॉट लगाकर वन विभाग के डिपो से बेचने की स्थिति में निम्न शर्तें लागू होंगी :–

(क) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को अपने काष्ठ को डिपो में पृथक लॉट लगवाकर **बेचने की** स्थिति में 2 विकल्प दिये जायेंगे। प्रथम विकल्प यह होगा कि भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही की काष्ठ की लॉट का अवरोध मूल्य विभागीय प्रक्रिय के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इस हेतु भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को *अनुबंध पत्र 'अ'* (अनुसूची–1 प्रारूप–6) में संबंधित वन मंडल अधिकारी के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा। जबकि द्वितीय विकल्प में भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही लिखित रूप से अपने लॉट के न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध कर सकता है, ऐसी स्थिति में इस लॉट के अवरोध मूल्य का निर्धारण विभागीय प्रक्रिया से नहीं किया जावेगा बल्कि भूमि स्वामी द्वारा अनुरोध किये गये विक्रय मूल्य को ही अवरोध मूल्य मान लिया जावेगा एवं ऐसी स्थिति में स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही *अनुबंध पत्र 'ब'* (अनुसूची–1 प्रारूप–7) में संबंधित वन मंडल अधिकारी के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(ख) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही प्रथम विकल्प स्वीकार करता है तो नीलाम विशेष में विक्रय नहीं हो पाने की अवस्था में भूमि स्वामी के लॉट को विभागीय प्रक्रिया अनुसार ही आगामी नीलाम में विक्रय किये जाने की प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि लॉट का विक्रय नहीं हो जावे। भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही के लॉट के नीलाम में वन विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संबंधित वन मण्डलाधिकारी विक्रय करेंगे। विभागीय प्रक्रिया अनुसार वन मण्डलाधिकारी एवं वन संरक्षक लॉट को आवश्यकता के अनुसार अवरोध मूल्य से नीचे बेच सकेंगे। वन मण्डलाधिकारी व वन संरक्षक नीलामी हेतु दी गई प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में स्वतंत्र रहेंगे तथा भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही का इस पर कोई हस्ताक्षेप नहीं रहेगा। प्राप्त विक्रय मूल्य भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को मान्य होगा। अवरोध मूल्य कम प्राप्त हाने पर भूमि स्वामी किसी प्रकार की वित्तीय क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकेंगे ।

(ग) यदि भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वितीय विकल्प स्वीकारता है तो लॉट का विक्रय इस मूल्य के नीचे नहीं किया जावेगा भले ही नीलाम विशेष में कोई बोली प्राप्त न हो। भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को यह अधिकार अवश्य होगा कि वह नीलाम के पश्चात् विक्रय नहीं होने की स्थिति में यदि उचित समझे तो अपने विक्रय मूल्य की राशि परिवर्तित कर सकता है। किसी भी स्थिति में भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वारा लिखित रूप में जो विक्रय मूल्य दिया जावेगा उससे कम राशि पर विक्रय नहीं किया जावेगा।

(घ) दोनों ही विकल्पों की स्थिति में निम्न शर्तें लागू रहेंगी :–

(अ) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को वन विभाग के नीलाम में उपस्थित रहने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी परन्तु उन्हें वनमण्डलाधिकारी द्वारा किये जा रहे नीलाम में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं रहेगी। वे वनमण्डलाधिकारी द्वारा अपनाई गई नीलाम प्रक्रिया के संबंध में आपत्ति नहीं उठायेंगे अथवा किसी प्रकार की वित्तीय क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकेंगे।

(ब) लॉट के प्रथम अथवा बाद के किसी भी नीलाम में विक्रय नहीं हो पाने के कारण काष्ठ की गुणवत्ता में ह्रास, बाजार में काष्ठ के मूल्य में गिरावट, भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही द्वारा सूचित न्यूनतम राशि से कम बोली प्राप्त होने इत्यादि की अवस्था में भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिये विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। इस प्रकार नीलाम की पूर्ण कार्यवाही भूमि स्वामियों/लोक वानिकी हितग्राहियों के जोखिम पर ही संपादित की जावेगी।

(स) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही की काष्ठ के विक्रय होने तक प्रकरण की स्थिति एवं नीलाम संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु संबंधित वनमण्डलाधिकारी से संपर्क करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

(द) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही की लॉट पर देय वन विकास उपकर, वाणिज्यिक कर, आयकर, सरचार्ज, भूमि भाड़ा इत्यादि की वसूली किये जाने एवं नियमानुसार इनके समायोजित/भुगतान करने का भी उत्तरदायित्व वनमण्डलाधिकारी का ही होगा।

(ई) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही के काष्ठ के विक्रय मूल्य में से काष्ठ की डिपो में आमद लेने, परिमापन एवं ग्रेडिंग करने, थप्पीकरण तथा नीलाम की अन्य व्यवस्था, सुरक्षा इत्यादि पर होने वाले व्यय की राशि की कटौती करते हुए अवशेष रहने वाली पूर्ण राशि का भुगतान वनमण्डलाधिकारी चेक द्वारा भूमि स्वामी को करेंगे। यह भुगतान भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही की काष्ठ का पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त होने के उपरांत 15 दिन के भीतर किया जावेगा।

(उ) एकरूपता की दृष्टि से डिपो व्यय का मानकीकरण भी प्रतिववर्ष विभाग द्वारा किया जावेगा। अर्थात विभाग द्वारा भूमि स्वामी/लोकवानिकी हितग्राही से प्रति घनमीटर अथवा प्रति बल्ली नग या उलाऊ चट्टा के लिये हस्तन व्यय की वार्षिक दर तथा निर्धारित की जावेगी।

(फ) भूमि स्वामी/लोक वानिकी हितग्राही को उपरोक्त शर्तें को उपरोक्त शर्तें मान्य रहने का अनुबंध पत्र निर्धारित आवेदन पत्र के सहित संबंधित क्षेत्रीय वन मंडल अधिकारी को देना होगा।

अध्याय–9

प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की निगरानी

(कृपया अधिनियम की धारा–6 एवं नियम–7 भी देखें)

9.1 निगरानी समिति का गठन

प्रत्येक विकास खंड स्तर पर या उसके किसी भाग के लिए स्वीकृत प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु सक्षम प्राधिकारी (वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय) द्वारा निगरानी समिति का गठन किया जाएगा । वन परिक्षेत्र अधिकारी, (क्षेत्रीय) इस समिति का अध्यक्ष होगा। इसमें एक गैर सरकारी व्यक्ति या संगठन, राजस्व विभाग और यथास्थिति, किसी ग्राम पंचायत या किसी ग्राम सभा से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि समाविष्ट होगा। राज्य सरकार जब भी आवश्यक समझे, किसी भी पदधारी, निकाय या अभिकरण को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या कालावधि के लिये ऐसी योजना के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगीं।

9.2 निगरानी समिति के कर्तव्य

निगरानी समिति द्वारा उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले निजी वनों/लोक वनों की समस्त स्वीकृत प्रबन्धन योजनाओं के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी की जायेगी। प्रबन्धन योजना के भाग–दो अध्याय 8 में प्रबन्धन योजना की मानीटरिगं एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में विवरण दिया जायेगा। तदनुसार ही निगरानी समिति द्वारा मानीटरिंग व मूल्यांकन किया जायेगा। कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु जिनकी मानीटरिंग आवश्यक है, नीचे चेक लिस्ट में दिये गये हैं:–

1. योजना क्षेत्र का सही सीमांकन किया जाना है ।
2. विदोहन हेतु वृक्षों का चिन्हांकन विहित नियमों/निर्देशों तथा योजना के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना है।
3. योजना क्षेत्र शासकीय वन (राजस्व/वन विभाग) से लगा होने की स्थिति में पातन शुरू करने के दो माह पूर्व संबंधित विभाग को लिखित सूचना देना ।
4. वृक्षों के पातन में :–
   - अ. चिन्हांकित वृक्षों को हुआ नुकसान।
   - ब. पातन से अन्य वृक्षों को हुआ नुकसान।
   - स. पातन उपरांत ठूंठो की उपयुक्त ड्रेसिंग तथा आसपास की सफाई ।
   - द. जीवित ठूंठों का कट बेक।
5. पातन पूर्ण होने के पश्चात् तथा लागिंग शुरू करने के पूर्व इसकी सूचना आवेदक द्वारा राजस्व/वन विभाग को देना।
6. जिस विभाग की वन भूमि योजना क्षेत्रों से लगी हुई है, लागिंग एवं स्टेकिंग के पूर्व उस विभाग द्वारा सत्यापन करना।
7. पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रजातियों की टी0पी0 जारी करने हेतु सूचना संबंधित पंचायत को देना।
8. रिक्त क्षेत्रों में प्रबंधन योजना के अनुसार रोपण।
9. प्रबंधन योजना के अनुसार विरलन एवं संवर्द्धन कार्य आदि।
10. प्रबंधन योजना के अनुसार अग्नि/चराई सुरक्षा।
11. वननिधि की सुरक्षा।

12. प्रबंधन योजना से विचलित होने पर स्थिति का मूल्यांकन तथा अनुवर्ती कार्यवाही।
13. योजना क्षेत्र में संनिधि के वृद्धि दर संबंधी आंकड़े आवेदक द्वारा एकत्रित करना।
14. प्रबंधन योजना की समयावधि समाप्ति के पूर्व पुनरीक्षण की कार्यवाही।

9.3 निगरानी समिति का प्रतिवेदन

निगरानी समिति अपनी टीका टिप्पणियों एवं सिफारिशों सहित मानीटरिंग एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन समय.समय पर, किन्तु वर्ष में कम से कम एक बार, सक्षम प्राधिकारी (वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय) को सौपेगी। यदि वनमंडलाधिकारी द्वारा निगरानी समिति से कोई प्रतिवेदन चाहा जाता है, तो वह भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9.4 निगरानी समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

निगरानी समिति के प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत सक्षम प्राधिकारी (वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय) समिति की उन टिप्पणियों/सिफारिशों को संबंधित भूमि स्वामी/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को आवश्यक सुधार हेतु भेजेगा जिनमें समिति द्वारा मामूली त्रुटियों को इंगित किया गया हो अथवा भविष्य में सुधार हेतु सुझाव दिये गये हो। परन्तु गंभीर त्रुटियों/जानबूझकर की गई अवहेलना सम्बन्धी मामलों में सक्षम अधिकारी प्रबन्धन योजना को निरस्त कर सकेगा और/अथवा अपनी टिप्पणी/सिफारिश सहित प्रकरण नियम–8 के तहत दांडिक कार्रवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को भेजेगा।

9.5 निगरानी में वन विभाग का दायित्व

प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन में निगरानी समिति के अलावा वन विभाग के स्थानीय अमले की भी प्रमुख भूमिका होगी जिसे प्रबंधन योजना क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक क्रियाकलाप पर (प्रबंध योजना की स्वीकृति से प्रबंधन योजना के अंतिम वर्ष तक) निगरानी रखनी होगी। यदि प्रबंधन योजना क्षेत्र में अथवा उसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में वनमण्डलाधिकारी को इसकी तत्काल सूचना दी जायेगी तथा वन मण्डलाधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, ऊपर कंडिका 9.4 में दी गई कार्रवाई कर सकेगा।

9.6 आवेदक का दायित्व

प्रबंधन योजना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना (जैसे अग्नि, अवैध कटाई, कीड़ों एवं रोग का प्रकोप आदि) होने पर आवेदक इसकी सूचना परिक्षेत्राधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी को देगा ।

अध्याय– 10

अधिनियम एवं नियमों के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान

(कृपया अधिनियम की धारा 8 व 9 तथा नियम 10 व 11 भी देखें)

10.1 अधिनियम एवं नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध दण्ड

लोक वानिकी कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन तथा इसके सुचारू एवं व्यवस्थित पालन के लिए मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम – 2001 तथा मध्यप्रदेश लोक वानिकी नियम – 2002 में दण्ड का प्रावधान किया गया है।

लोक वानिकी के अंतर्गत निजी एवं ग्राम पंचायत/ग्राम सभा वन क्षेत्रों में बनाई जाने वाली प्रबन्धन योजना के दोहन एवं क्रियान्वयन के दौरान की जाने वाली लापरवाही, अनियमितता अथवा उल्लंघन के फलस्वरूप दण्ड का प्रावधान किया गया है। दण्ड का प्रावधान निम्न परिस्थितियों में लागू होगा :–

1. प्रबन्धन योजना में दर्शाये गए क्षेत्रों से बाहर के वृक्षों का दोहन करता है।
2. दोहन चक्र में दर्शायी गयी प्रजातियों से भिन्न प्रजातियों के अलावा अथवा योजना में निर्धारित वार्षिक प्राप्ति से अधिक संख्या में दोहन करता है।
3. प्रबन्धन योजना में दोहन पश्चात् लगाये जाने वाले वृक्षों का वृक्षारोपण नहीं करता है।
4. प्रबन्धन योजना में वन क्षेत्रों के प्रबंधन, सुरक्षा, भूमि सुधार आदि बिन्दुओं पर बताए गए सुझावों एवं प्रावधानों पर सही तरीके से अमल नहीं करता है।

10.2 दण्ड का प्रकार

अधिनियम/नियमों अथवा स्वीकृत प्रबन्धन योजना के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) दोषी व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित शास्तियाँ अधिरोपित कर सकेगाः–

1. अपराध में अंतर्ग्रस्त (इन्वाल्वड्) वृक्षों के मूल्य के दुगने तक, परन्तु जो एक लाख रुपये (रुपये 1,00,000/–) से अधिक न हो, का अर्थदंड ।
2. अंतर्ग्रस्त वृक्षों अथवा वृक्षों के लट्ठों का भू–राजस्व संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार अधिहरण।

10.3 दण्ड की प्रक्रिया

प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था परिलक्षित होने पर या इसकी सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत उपरोक्तानुसार दण्ड का प्रावधान किया गया है।

लोक वानिकी के अंतर्गत तैयार की गई प्रबन्धन योजना के प्रावधानों के उल्लंघन के बाबत् कंडिका 10.1 में दर्शाई गई बातों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होने पर या संबंधित वन क्षेत्रपाल, सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संबंधित भू–स्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को कारण बताओं सूचना जारी करेगा तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निश्चित समय सीमा प्रदान करेगा। संबंधित भूमि स्वामी/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा कारण बताओं सूचना का जवाब तय की गई समय सीमा में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने अथवा जबाब समाधान कारक न पाये जाने की स्थिति में कंडिका 10.2 के अनुसार दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

10.4 दण्ड विरूद्ध अपील का प्रावधान

1. अधिनियम की धारा 8 तथा नियम 10 के अधीन उप–खण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा पारित किये गये आदेश के विरूद्ध अपील पर विचार करने के लिये अपील प्राधिकारी, जिला कलेक्टर होगा।
2. उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) के दण्डादेश से व्यथित व्यक्ति उक्त आदेश प्राप्ति के तीस (30) दिवस के अन्दर अपील कर सकेगा।
3. अपील के लिये आवेदन पत्र, कलेक्टर के प्रवाचक (रीडर) द्वारा प्राप्त किया जायेगा और संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी।
4. प्रत्येक अपील के साथ उप–खंड अधिकारी (राजस्व) के उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, के साथ मामले के सुसंगत दस्तावेज तथा कोषालय चालान या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय रू. 100/– फीस, जो वापिसी योग्य नहीं होगी, संलग्न होगी।
5. अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को स्वयं या आवेदक द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के माध्यम से सुनेगा और आवेदन पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अपील का निर्णय करेगा।
6. अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) के आदेश की पुष्टि करने, उलटने या संशोधित करने का आदेश पारित कर सकेगा।
7 अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रतियां, अनुपालन के लिये या ऐसे और आदेश पारित किए जाने के लिए, जैसा कि अपील प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, संबंधित उप–खण्ड अधिकारी (राजस्व) को भेजी जाएगी।

अध्याय 11

लोक वानिकी क्षेत्रों के प्रबंधन पर आरेंज एरिया/ब्लेंकेट नोटिफिकेशन का प्रभाव

लोक वानिकी नियम 2002 के अनुसूची–3 के कंडिका ''ग'' के अंतर्गत शासकीय वनों को अवैध कटाई से सुरक्षित रखने हेतु रक्षोपाय का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत यदि प्रस्तावित योजना क्षेत्र शासन के किसी भी प्रकार के वन से लगा हुआ हो तो उस पर विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अर्थात लोक वानिकी योजना के तहत प्राप्त वनोपज स्वीकृत प्रबंधन योजना क्षेत्र से ही विदोहन किये जाने बाबत सुनिश्चित किया जाना होगा। योजना से लगे हुए क्षेत्र में वन होने की स्थिति में वन क्षेत्रों से वृक्षो की अवैध कटाई करते हुए योजना से प्राप्त वनोपज में शामिल करने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान रखा गया है।

अतः सीमाकिंत वन खण्डों से लगे हुए रकबो का सीमांकन फारेस्ट मैन्युअल के प्रावधानो का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक करने हेतु, वन सीमा दर्शाने वाले मुनारे वन मानचित्र के आधार पर मौके पर है, यह सुनिश्चित करने हेतु तथा प्रबंधन योजना की स्वीकृति बावत प्रस्तावित क्षेत्र आरेंज एरिया नही होने बावत् भली–भांति परीक्षण कर योजना स्वीकृत करते समय प्रश्नाधीन क्षेत्र आरेंज एरिया अथवा शासकीय वन नहीं होने का उल्लेख वनमंडलाधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश में स्पष्ट करने हेतु परिपत्र कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कक्ष–अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी, म0प्र0, भोपाल द्वारा पत्र क्र0 4134 दिनांक 26–12–05 द्वारा जारी किया गया है । उपरोक्त परिपत्र परिशिष्ट–10 के रूप में संलग्न है।